सत्यमेव जयते

रक्षा पेंशन के वितरण
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं)
2017 की प्रतिवेदन संख्या-26
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

रक्षा पेंशन के वितरण

पर

भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं)
2017 की प्रतिवेदन संख्या-26
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

अस्वीकरण

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

विषय-सूची

पैरा संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	**iii**
	कार्यकारी सारांश	**v**
	अध्याय I : परिचय	
1.1	रक्षा पेंशन	1
1.2	रक्षा पेंशन प्रबंधन के अंशधारक	1
1.3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	2
1.4	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3
1.5	लेखापरीक्षा के मापदंड	3
1.6	लेखापरीक्षा की कार्यविधि	4
1.7	आभार	5
	अध्याय II : वित्तीय प्रबंधन	
2.1	परिचय	6
2.2	रक्षा पेंशन पर बजट आंबटन और व्यय	6
2.3	व्यय का अपूर्ण लेखाकरण	8
2.4	निष्कर्ष और सिफारिशें	10
	अध्याय III : पेंशन का प्राधिकरण	
3.1	परिचय	11
3.2	पेंशन के प्रसंस्करण और प्राधिकरण में विलंब	12
3.3	पी पी ओ जारी करने में विलंब के कारण डी सी आर जी के भुगतान में विलंब	13
3.4	पी पी ओ में अनियमितताएं	14
3.5	पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया के कार्य-प्रवाह की समीक्षा की आवश्यकता	15
3.6	निष्कर्ष और सिफारिशें	16
	अध्याय IV : पेंशन वितरण	
4.1	परिचय	18
4.2	रक्षा पेंशनरों को अल्प भुगतान	18
4.3	रक्षा पेंशनरों को अधिक भुगतान	20
4.4	दोहरे भुगतान	21
4.5	पेंशन वितरण में अन्य अनियमितताएं	22
4.6	अधिक भुगतान की वसूली में विलंब	23

4.7	पेंशनरों के आँकड़ों में कमियाँ	23
4.8	डी पी डी ओ द्वारा पेंशन का वितरण	25
4.9	पेंशनरों से आयकर की गैर-कटौती	26
4.10	जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन	27
4.11	अन्य टिप्पणियां	27
4.12	निष्कर्ष और सिफारिशें	27
अध्याय V : आंतरिक नियंत्रण		
5.1	अभिलेख कार्यालयों में नियंत्रण में कमज़ोरियां	30
5.2	पी सी डी ए (पी) में नियंत्रण की कमियां	30
5.3	आर बी आई में नियंत्रण की कमज़ोरियाँ	35
5.4	निष्कर्ष और सिफारिशें	36
अनुलग्नक		
1	संक्षिप्तियां और शब्दावली	39
2	अंशधारक और इकाइयों का चयन	43
3	सी ए जी की 2015 की प्रतिवेदन संख्या 50 का सार	47
4	पेंशन भुगतान आदेशों के प्रसंस्करण की समय-सूची	49
5	पेंशन का अल्प भुगतान	51
6	गलत भुगतानों के डाटा विश्लेषण के परिणाम	53
7	पी डी ए द्वारा किए गए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई	54
8	रक्षा पेंशनरों के ई-स्क्रॉल और प्रोफाइलों में बेमेलपन	55
9	डी एम ए में अनियमितताएं	57

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के रक्षा पेंशन वितरण प्रणाली की समीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

यह प्रतिवेदन रक्षा पेंशन वितरण के मुख्य अंशधारकों जैसे रक्षा मंत्रालय का रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी और पेंशन वितरण एजेंसियां जैसे बैंक, रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय, राज्य कोषागार और डाकघरों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित है। इसके अलावा, लेखापरीक्षित सत्त्वों से प्राप्त डाटा का आई टी टूल्स का प्रयोग करते हुए किए गए विश्लेषण के परिणाम भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

कार्यकारी सारांश

प्रति वर्ष 25 लाख से अधिक पेंशनरों को रक्षा पेंशन का वितरण किया जाता है, जिसके लिए ₹60,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक व्यय होता है। रक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली मुख्यत: चार स्तंभों पर आधारित है, जिसमें अभिलेख कार्यालय, जो सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं, पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी, पेंशन वितरण एजेंसियां और आर बी आई, जो सरकार के रोकड़ शेष की देखरेख करता है और पेंशनरों को बैंकों द्वारा वितरित पेंशन की प्रतिपूर्ति करता है, सम्मिलित हैं।

रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत इलाहाबाद और मुबंई स्थित रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रकों (नौसेना के लिए) तथा रक्षा लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली (वायु सेना के लिए) द्वारा पेंशन संस्वीकृत की जाती है। रक्षा लेखा विभाग के रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डी पी डी ओ), बैंकों, भारतीय दूतावास, नेपाल, राज्य कोषागारों, भुगतान एवं लेखा कार्यालयों और डाकघर, कठुआ (जम्मू और कश्मीर) द्वारा पेंशन का वितरण किया जाता है।

हमने यह समीक्षा क्यों की?

यह समीक्षा रक्षा पेंशन प्रणाली के चार स्तंभों अर्थात् अभिलेख कार्यालयों, पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए), पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक में विद्यमान बजटिंग, लेखाकरण तथा आंतरिक नियंत्रणों सहित पेंशन वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए की गई। इस समीक्षा का उद्देश्य विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी प्रयुक्तियों सहित कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता मुद्दों पर रिपोर्ट करना एवं उपयुक्त सिफारिशें करना था।

प्रमुख निष्कर्ष

1 पेंशन व्यय का अपूर्ण लेखाकरण

हमने देखा कि पेंशन भुगतान स्क्रॉल, जिसके आधार पर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, पेंशन (पी सी डी ए (पी)) अंतिम लेखा शीर्ष में राशियां बुक करता है, प्रदान करने में बैंकों की असमर्थता के कारण प्रत्येक वर्ष व्यय की बड़ी राशि को पेंशन लेखा शीर्ष में बुक नहीं किया गया था तथा वह आर बी आई उचंत शीर्ष में पड़ी थी। इसके फलस्वरूप पेंशन लेखाओं का गलत अंकन तथा सरकारी राजस्व घाटा संबंधी आँकड़ों के लिए आपत्तियां उपस्थित हुईं। मार्च 2016 के अंत तक उचंत शीर्ष में पड़ी संचित राशि ₹6,831.95 करोड़ थी।

(पैराग्राफ 2.3)

2. पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया में अक्षमताएं

हमने देखा कि पेंशन के प्राधिकरण की प्रक्रिया में अनेक भागीदार एवं बहुल चरण सम्मिलित हैं, जिसके फलस्वरूप प्राय: पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करने में परिहार्य विलंब होते हैं। प्राधिकरण प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता है, जिससे कि वह कम बोझिल व कम समय लेने वाला हो।

हमने यह भी देखा कि यद्यपि अभिलेख कार्यालयों, पी एस ए और पी डी ए में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना ली जा रही है, किंतु उनके एकीकरण के अभाव के कारण सूचना का अकार्यक्षम प्रवाह होता है, जिसमें प्रतिलेखन त्रुटियों एवं पेंशन भुगतानों में परिणामी त्रुटियों की संभावना रहती है।

(पैराग्राफ 3.2)

3. पेंशन वितरण प्रणाली में कमियां

हमने देखा कि बैंकों में जो कि कुल पेंशन का लगभग 75 प्रतिशत पेंशन वितरण करते है, होने वाली प्रेषण त्रुटियों तथा अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप अल्प भुगतानों और अधिक भुगतानों के अनेक मामले उत्पन्न हुए थे। देखे गए मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे;

(क) हमने एक महीने की नमूना जाँच के आधार पर 21,434 पेंशनरों के मामलों की पहचान की, जिनको ₹106.17 करोड़ तक अल्प भुगतान किया गया था। अल्प भुगतानों के लिए मुख्य कारण पेंशनों का गैर संशोधन/गलत संशोधन, पेंशन के रूपांतरित अंश का पुन: स्थापन न किया जाना, अशक्तता घटक का गलत संशोधन और स्थायी चिकित्सा भत्ता का गैर-संशोधन थे। 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित थोक डाटा के विश्लेषण से ₹228.85 करोड़ का संभावित अल्प भुगतान सूचित हुआ। इन मामलों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता थी।

(पैराग्राफ 4.2)

(ख) इसी प्रकार, हमने एक महीने के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर 11,973 पेंशनरों को ₹118.23 करोड़ का अधिक भुगतान देखा। अधिक भुगतान के लिए मुख्य कारण पेंशन का गलत संशोधन, पेंशन के रूपांतरित अंश की गैर-कटौती और स्थायी चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान थे। 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित थोक डाटा के विश्लेषण से ₹518.70 करोड़ का अधिक भुगतान सूचित हुआ। इन मामलों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता थी।

(पैराग्राफ 4.3)

(ग) हमारी नमूना लेखापरीक्षा से दोहरे भुगतानों के अनेक मामले तथा पेंशन वितरण में अन्य अनियमितताएं जैसे अनेक पेंशनरों की पेंशनों का एक खाते में जमा किया जाना, पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) के बिना पी डी ए द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाना और अन्य विभागों के पेंशनरों को रक्षा शीर्ष से पेंशन का भुगतान किए जाने के कुछ उदाहरण आदि देखे गए।

(पैराग्राफ 4.4 एवं 4.5)

(घ) हमने पी डी ए द्वारा अधिदत्त राशियों की उनके द्वारा वसूली करने में विलंबों के उदाहरण भी देखे।

(पैराग्राफ 4.6)

(ड़) पी डी ए द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों के थोक डाटा के विश्लेषण से, अनुरक्षित डाटा में अनेक कमियां जैसे खाता संख्या, नाम या पी पी ओ संख्या का न होना, सिस्टम में दर्ज जन्म तिथि में त्रुटियां, एक ही पी पी ओ के लिए पेंशन का अलग खातों में जमा किया जाना और अलग पी पी ओ के लिए पेंशन का एक बैंक खाते में जमा किया जाना आदि देखी गईं। बैंकों के भुगतान स्क्रॉलों में उपलब्ध सूचना तथा संस्वीकृति प्राधिकारी अर्थात् पी सी डी ए द्वारा अनुरक्षित सूचना के बीच बेमेलपन भी था।

(पैराग्राफ 4.7)

(च) रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त आश्रय सोफ्टवेयर में वैधीकरण जाँचों का अभाव और सूचना की अनुपलब्धता भी देखी गई।

(पैराग्राफ 4.8)

(छ) स्रोत पर आयकर की गैर-कटौती के अनेक मामले थे।

(पैराग्राफ 4.9)

4 नियंत्रण में कमियां

हमने पेंशन वितरण प्रणाली के सभी चार स्तंभों में नियंत्रण में कमियां देखीं, जिसने प्रणाली की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नियंत्रण में कुछ प्रमुख कमियां निम्नलिखित थीं:

(क) इकाइयों से सूचना की प्राप्ति में होने वाले विलंब से पेंशन मामलों के प्रसंस्करण में विलंब हुए।

(पैराग्राफ 5.1)

(ख) पी सी डी ए (पी) में नियंत्रण की कमियों में पेंशनरों की वास्तविक संख्या संबंधी सूचना अनुरक्षित करने में नियंत्रणों का अभाव, सही लेखाकरण पर नियंत्रण का अभाव, अधिक भुगतानों, कपटपूर्ण भुगतानों और विदेशी दावों की अपर्याप्त लेखापरीक्षा और अपर्याप्त निगरानी आदि सम्मिलित थीं।

(पैराग्राफ 5.2)

(ग) इसी प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों ने पेंशन का सही वितरण किया और उनके द्वारा किए गए वितरणों के लेखे समय पर प्रस्तुत किए, आर बी आई के पास कमज़ोर और कम नियंत्रण थे। इसका उदाहरण यह तथ्य था कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान आर बी आई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (बी ओ बी) को प्रतिपूर्ति की गई राशि और पेंशनरों को बी ओ बी द्वारा दत्त राशि में ₹179.55 करोड़ का अंतर था।

(पैराग्राफ 5.3)

5. प्रमुख सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में हमारी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- पी सी डी ए (पी) को भुगतान स्क्रॉल की प्रस्तुति के प्रमाण की शर्त पर आर बी आई को बैंकों को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। दूसरी ओर, आर बी आई को चाहिए कि वह पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल (ई-स्क्रॉल) प्रस्तुत न करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन प्रवर्तन में लाए।

- जबकि पेंशन के सामयिक प्राधिकरण के लिए वर्तमान निगरानी व्यवस्था को मज़बूत किया जाना चाहिए, वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा यह देखने के लिए कि यदि उसे कम बोझिल और कम समय लेने वाला बनाने के लिए सरल बनाया जा सकता था, की जानी चाहिए। पेंशन संस्वीकृत करने के लिए कार्यालयाध्यक्षों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों सहित गैर-रक्षा, सिविल पेंशन पक्ष से सीखे गए सबक को अपनाने की संभावना खोजी जा सकती है।

- पी एस ए द्वारा पी पी ओ इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीधे पी डी ए को प्रेषित किए जाने चाहिए।

- उचित वैधीकरण और सुरक्षा जाँचों के साथ, सुरक्षित ढंग से सूचना के स्वचालित प्रवाह को समर्थ बनाने हेतु तीन स्तंभों- अभिलेख कार्यालयों, पी एस ए तथा पी डी ए- को ऑनलाइन संयोजित किया जाना चाहिए।

- अल्प एवं अधिक भुगतानों सहित, विचलनों की समय पर खोज करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पी सी डी ए (पी) को स्क्रॉलों की समग्र ई-लेखापरीक्षा कार्यान्वित करनी चाहिए।

- अभिलेख कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित मूल प्रोफाइल में पैन (पी ए एन) नंबर प्रविष्ट किया जाना चाहिए और टी डी एस को आसान बनाने हेतु प्रेषण श्रृंखला के माध्यम से पी डी ए तक पहुँचना चाहिए।

- पी डी ए को जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का एक दुविधा-रहित तरीका पेंशनरों को प्रदान करने हेतु सरकार की जीवन प्रमाण पहल का लाभ उठाने के लिए ई-आधार नंबर लिया जाना चाहिए।

अध्याय I : परिचय

1.1 रक्षा पेंशन

अप्रैल 2016 को 25 लाख से अधिक रक्षा पेंशनरों[1] को रक्षा पेंशन का वितरण किया जा रहा था और इसके लिए ₹60,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक व्यय हो रहा था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा बलों एवं अन्य स्थापनाओं के विषय में पेंशन के लिए रक्षा लेखा विभाग (डी ए डी) केंद्रीय एजेंसी है। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद [पी सी डी ए (पी)] रक्षा सेवा कार्मिकों तथा तीन सेवाओं[2] के सिविलियनों की पेंशन की संस्वीकृति, लेखाकरण, लेखापरीक्षा आदि के लिए उत्तरदायी है। वायु सेना एवं नौ सेना के संबंध में पेंशन मामलों का प्रसंस्करण क्रमशः रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना), नई दिल्ली और रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौ सेना), मुंबई द्वारा किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि से संबंधित रक्षा पेंशन पद्धति की निष्पादन समीक्षा समाविष्ट है। इस समीक्षा में प्रयुक्त संक्षिप्तियों तथा रक्षा कार्मिकों की विभिन्न प्रकार की पेंशनों समेत रक्षा पेंशन से संबंधित शब्दावालियों की सूची **अनुलग्नक -1** में समाविष्ट है।

1.2 रक्षा पेंशन प्रबंधन के अंशधारक

रक्षा पेंशन का प्रबंधन मुख्यतः चार स्तंभों पर टिका हुआ है, यथा; (i) अभिलेख कार्यालय (आर ओ) जो सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं, इकाइयों को सेवामुक्ति आदेश जारी करते हैं और इकाईयों से सत्यापित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पेंशन प्रस्ताव संस्वीकृति प्राधिकारियों[3] को भेजते हैं, (ii) पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी (पी एस ए) जो पेंशन को प्राधिकृत करते हैं और पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करते

---

[1] जैसा कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, पेंशन, इलाहाबाद द्वारा सूचित किया गया है।

[2] रक्षा लेखा विभाग, सामान्य रिज़र्व इंजीनियर बल, तटरक्षक, सैन्य परिचर्या सेवाएं (स्थानीय), एन सी सी अधिकारी, विभागीय कैन्टीन और सांविधिक कैन्टीनों के सिविलियनों सहित।

[3] अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों (पी बी ओ आर) का। थल सेना अधिकारियों के पेंशन कागज़ात सी डी ए (ओ), पुणे द्वारा पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद को भेजे जाते हैं, जबकि वायु सेना और नौ सेना अधिकारियों के कागजात उनके अभिलेख कार्यालयों द्वारा क्रमशः जे सी डी ए (ए एफ) और पी सी डी ए (नौ सेना) को भेजे जाते हैं।

हैं, (iii) पेंशन वितरण एजेंसियां (पी डी ए) जैसे बैंक, रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (डी पी डी ओ), कोषागार और डाकघर, कठुआ, जो पेंशन का वितरण करती हैं और विस्तृत भुगतान स्क्रॉल लेखाकरण के लिए पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद को भेजती हैं, और (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई), जो सरकारी रोकड़ शेष की देख-रेख करता है, बैंकों को उनके द्वारा वितरित पेंशन की प्रतिपूर्ति करते हैं और व्यय के लेखाकरण के लिए भुगतान संबंधी विवरण पी सी डी ए (पी) को भेजता है। पेंशन प्रबंधन प्रणाली का संक्षिप्त चित्रण नीचे **चार्ट 1** में दिया गया है, जिसका संक्षेप में वर्णन **अनुलग्नक -2** में किया गया है। थल सेना के लिए पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी होने के अतिरिक्त पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद वायु सेना और नौ सेना के पी एस ए द्वारा संस्वीकृत पेंशन मामलों के अभिलेखों का अनुरक्षण भी करता है, जो उनके द्वारा जारी सभी पी पी ओ की प्रति पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद को भेजती हैं।

चार्ट 1 : रक्षा पेंशन प्रबंधन का संक्षिप्त आरेख

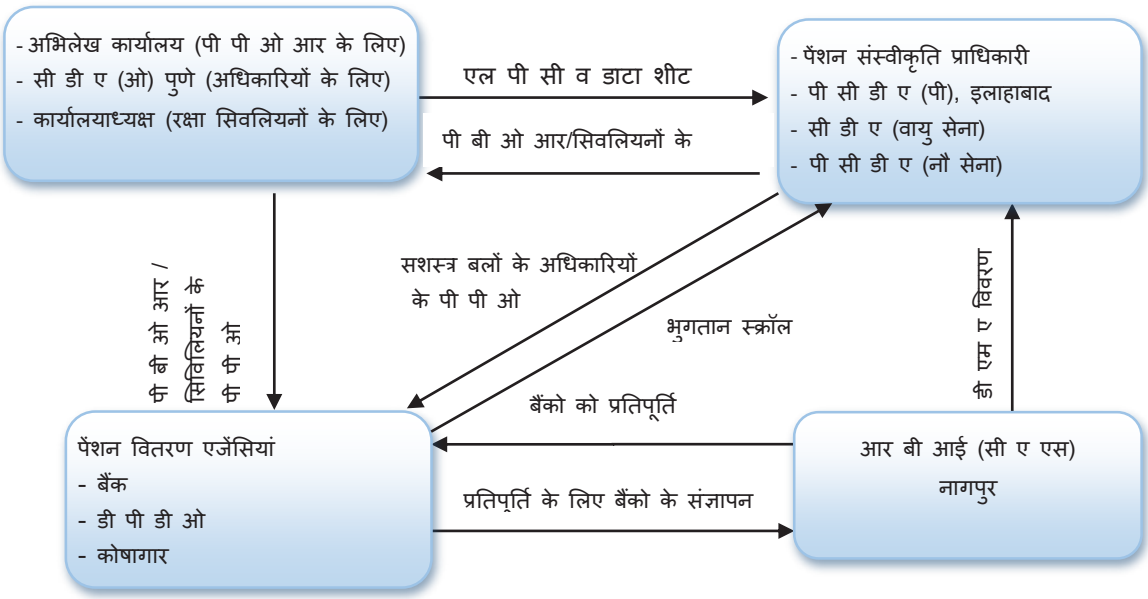

रक्षा पेंशन वितरण प्राधिकारियों (डी पी डी ओ) के द्वारा किए जाने वाले पेंशन वितरण को छोड़कर सभी पेंशन वितरण के लेखाकरण के लिए पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद उत्तरदायी है। डी पी डी ओ अपना व्यय विवरण लेखाकरण के लिए सी डी ए (पेंशन वितरण), मेरठ तथा सी डी ए, चैन्नई को भेजते हैं।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

रक्षा पेंशन प्रबंधन की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता की जाँच करने की दृष्टि से रक्षा पेंशन प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि सम्मिलित थी, किंतु फरवरी 2016 में सरकार द्वारा घोषित एक रैंक और एक पेंशन (ओ आर ओ पी) योजना उसमें सम्मिलित नहीं थी।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातों पर ज़ोर दियाः

1. क्या पेंशन के लिए निधियों का प्रावधान पर्याप्त था और पेंशन पर होने वाले व्यय का उचित लेखाकरण किया गया था **(प्रभावकारिता);**
2. क्या पेंशन की संस्वीकृति और पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) का प्रेषण समय पर किया जा रहा था **(प्रभावकारिता);**
3. क्या पेंशन वितरण एजेंसियां ठीक प्रकार से पेंशन का वितरण कर रही थीं **(कार्यक्षमता);**
4. क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और पेंशनरों की शिकायतों/ परिवादों के निवारण की प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं **(प्रभावकारिता);**
5. क्या पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों और पेंशन वितरण एजेंसियों द्वारा उपयोग की जा रही आई टी प्रयुक्तियां दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी रूप में कार्य कर रही थीं।

1.5 लेखापरीक्षा के मापदंड

निम्नलिखित से निकाले गए मापदंडों पर निष्पादन का मूल्यांकन किया गयाः

1. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट मार्गनिर्देश।
2. आर बी आई द्वारा जारी मूल परिपत्र और अनुदेश।
3. रक्षा लेखा विभाग की कार्यालय नियम पुस्तक भाग-II, खंड-I
4. रक्षा लेखा विभाग की कार्यालय नियम पुस्तक भाग-IV, खंड - I से V
5. वित्तीय विनियम भाग-I
6. पेंशन व्यय शीर्षों के वर्गीकरण संबंधी आर डी आर पुस्तिका।
7. थल सेना/ नौ सेना/ वायु सेना का पेंशन विनियम भाग-I
8. सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 ।
9. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, ई एस डबल्यू विभाग का पत्र सं. 17(4)/2008/ (2)/डी (पें) नीति दिनांक 12/11/2008 तथा पेंशन के संशोधन पर समय-समय पर जारी अनुवर्ती आदेश।
10. रक्षा पेंशन भुगतान अनुदेश 2013
11. पेंशन अदालतों के लिए रक्षा मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना।

1.6 लेखापरीक्षा की कार्यविधि

1.6.1 रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) में अप्रैल 2016 में आयोजित एनट्री कान्फेरेन्स के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू हुई। क्षेत्र लेखापरीक्षा अप्रैल से सितंबर 2016 तक अभिलेख कार्यालयों, पी एस ए, पी डी ए तथा आर बी आई के अभिलेखों की नमूना जाँच; लेखापरीक्षा ज्ञापन और प्रश्नावलियों के द्वारा एकत्रित सूचनाएँ और पी डी ए तथा पी एस ए की कंप्यूटरीकृत प्रणालियों में उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के माध्यम से की गई। प्रत्येक चयनित पी डी ए में अभिलेखों की मैनुअल जाँच के दौरान 300 पेंशनरों के नमूने जो क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग करते हुए चयनित किए गए, की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षित सत्वों तथा समीक्षा के लिए चयनित नमूनों का विवरण नीचे **तालिका 1** में दिया गया है:

तालिका 1: लेखापरीक्षित सत्वों तथा चयनित नमूनों का विवरण

क्रम. सं.	लेखापरीक्षित सत्व	कुल सं.	लेखापरीक्षा के लिए चयनित	अभ्युक्तियां
1	**अभिलेख कार्यालय**	54	10	पी बी ओ आर और पी डी ए को पी पी ओ के प्रेषण में लिए गए समय की जाँच।
2	**पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी (पी एस ए)** -पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद -पी सी डी ए (नौ सेना) मुंबई -सी डी ए (वायु सेना) दिल्ली	03	03	रक्षा पेंशन प्रदान करने (संस्वीकृत करने) के लिए उत्तरदायी। पी सी डी ए (पी) सभी रक्षा पेंशनों के लेखाकरण और लेखापरीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।
3	**पेंशन वितरण एजेंसियां (पी डी ए)**	51	16	74.8 प्रतिशत पेंशनरों* का हिसाब देखते हैं।
	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	63	12	कुल पेंशनरों के 18.5 प्रतिशत का हिसाब देखते हैं।
	- डी पी डी ओ/ सी डी ए (पीडी)/ जेड ओ (पी डी)	03	03	कुल पेंशनरों के 3.9 प्रतिशत का हिसाब देखते हैं।
	-भारतीय दूतावास, नेपाल	640	08	पेंशनरों के 2.44 प्रतिशत का हिसाब देखते हैं।
	-कोषागार	01	01	कुल पेंशनरों के 0.2 प्रतिशत का हिसाब देखते हैं।
	-डाकघर, कठुआ, जम्मू और कश्मीर		03	रक्षा पेंशन के लिए नीति निर्माण, बजटिंग, रोकड़ प्रबंधन और लेखाकरण के लिए उत्तरदायी शीर्षस्थ इकाईयां
4	**अन्य सत्व** -आर बी आई, सी ए एस, नागपुर -सी जी डी ए - एम ओ डी			
	कुल		54	

*पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद के अभिलेखों के अनुसार 01/04/2015 में 24,61,651 रक्षा पेंशनर थे, जो 01/04/2016 में 25,00,631 में बढ़ गए।

1.6.2 आर ओ, पी एस ए और पी डी ए के कंप्यूटरीकृत डाटा का विश्लेषण करने के लिए आई टी टूल्स का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार, चयनित 16 (51 में से) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं 63 डी पी डी ओ[4] में उपलब्ध पेंशनरों की प्रोफाइल एवं ई-स्क्रॉल डाटा का भी विश्लेषण किया गाया। पी सी डी ए (पी) में पी डी ए से प्राप्त 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि से संबंधित ई-स्क्रॉल डाटा जिसमें 7,15,31,468 अभिलेख सम्मिलित थे, को समेकित किया गया। इसके अतिरिक्त, ई सी एच एस[5] के अंतर्गत पंजीकृत पेंशनरों का डाटा भी विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाया गया। विश्लेषित डाटा की मात्रा निम्नलिखित **तालिका 2** में सूचित की गई हैः

तालिका 2 : विश्लेषित डाटा की मात्रा

क्रम सं.	संगठन	पेंशनरों की संख्या
1.	पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद	21,70,939
2.	ई सी एच एस लाभार्थी डाटा	15,15,716
3.	सी पी पी सी (16)	14,57,041
4.	डी पी डी ओ (63)	4,57,037

1.6.3 बैंको के सी पी पी सी तथा डी पी डी ओ से प्राप्त पेंशन भुगतान स्क्रॉल डाटा और पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित डाटा का विश्लेषण करने के लिए डाटा विश्लेषण टूल्स का प्रयोग किया गया ।

1.6.4 चूँकि डाटा की प्रमाणिकता उसका अनुरक्षण करने वाले प्राधिकारियों पर निर्भर होता है, इसलिए उचित कार्यवाही शुरू करने से पहले उनके द्वारा विश्लेषण के परिणाम को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता होगी।

1.6.5 प्रतिवेदन का मसौदा 30 दिसंबर 2016 को मंत्रालय को भेजा गया था। 23/02/2017 को सचिव भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, एम ओ डी के साथ एक्सिट कान्फेरेन्स आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा की गई। एम ओ डी से मार्च 2017 में प्राप्त टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन, में जहां भी उपयुक्त था सम्मिलित किया गया तथा समीक्षा की संशोधित प्रति 08 जून 2017 को एम ओ डी भेजी गई। एम ओ डी के दिनांक 28 जून 2017 के उत्तर को सम्मिलित करने के लिए इस प्रतिवेदन को और अद्यतन किया गया है।

1.7 आभार

हम लेखापरीक्षा में चयनित रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग, वित्त मंत्रालय, आर बी आई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कोषागार तथा डाकघर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हैं।

[4] रक्षा लेखा विभाग (डी ए डी) के रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय।

[5] भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।

अध्याय II : वित्तीय प्रबंधन

2.1 परिचय

2.1.1 रक्षा पेंशन बजट पी सी डी ए (पी) द्वारा दो भागों में तैयार किया जाता है, एक रक्षा पेंशनरों के लिए और दूसरा रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के सिविल पेंशनरों के लिए और उसे सी जी डी ए[6] को भेजा जाता है, जो संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रक्षा पेंशन का अनुमान एम ओ डी को और सिविल पेंशन का अनुमान केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय (सी पी ए ओ), एम ओ एफ[7] को भेजता है। रक्षा पेंशन बजट की एक संक्षिप्त प्रस्तुति नीचे **चार्ट 2** में दी गई है।

चार्ट 2 : रक्षा पेंशन बजट की संक्षिप्त प्रस्तुति

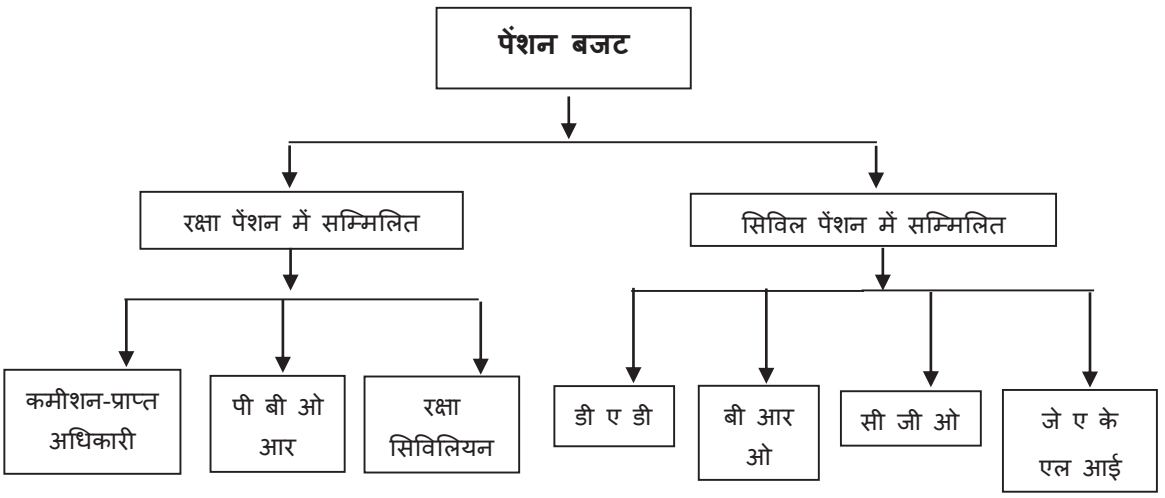

(टिप्पणीः पी बी ओ आर- अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिक, डी ए डी - रक्षा लेखा विभाग, बी आर ओ- सीमा सड़क संगठन, सी जी ओ - तट रक्षक संगठन, जे ए के एल आई - जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री)

2.2 रक्षा पेंशन पर बजट आंबटन और व्यय

2.2.1 रक्षा पेंशन अनुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए रक्षा पेंशन बजट का विवरण **तालिका 3** में दिया गया है-

[6] रक्षा लेखा महानियंत्रक

[7] वित्त मंत्रालय

तालिका 3 : रक्षा पेंशन का बजट अनुमान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	अनुमोदित संशोधित अनुमान	बुक किया गया व्यय	आधिक्य (-)/ बचत (+) (स्तंभ 3 - स्तंभ 4)	आर ई की प्रतिशतता के रूप में आधिक्य/ बचत
1	2	3	4	5	6
2011-12	34,000	34,000	37,569.39	(-) 3,569.39	10.50
2012-13	39,000	39,500	43,367.71	(-) 3,867.71	9.79
2013-14	44,500	45,500	45,499.54	(+) 0.46	-
2014-15	51,000	50,000	60,449.75	(-) 10,449.75	20.90
2015-16	54,500	60,238	60,237.60	(+) 0.40	-

स्रोतः सी जी डी ए द्वारा तैयार की गई अनुदानों की मांग।

तालिका 3 दर्शाती है कि 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के 5 वर्षों में से 3 में आबंटन से अधिक व्यय हुआ। वर्ष 2013-14 और 2015-16 में लघु बचत थी। एम ओ डी ने बताया कि पी सी डी ए (पी) को रक्षा पेंशन बजट के अंतर्गत पर्याप्त निधियां नहीं मिली थीं।

2.2.2 सिविल पेंशन अनुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए सिविल पेंशन बजट नीचे **तालिका 4** में दिया गया है:

तालिका 4 : सिविल पेंशन का बजट अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (-)/ बचत (+) (स्तंभ 3 - स्तंभ 4)
1	2	3	4	5
2011-12	1,199.30	1,302.87	1,308.24	(-) 5.37
2012-13	1,410.06	1,434.15	1,502.34	(-) 68.19
2013-14	1,625.67	1,690.47	1,721.07	(-)30.60
2014-15	1,860.60	1,974.46	1,967.67	(+) 6.79
2015-16	2,150.50	2,213.47	2,222.93	(-) 9.46

स्रोतः सी जी डी ए द्वारा तैयार की गई अनुदानों की माँग।

2014-15 को छोड़कर सभी वर्षों में अधिक व्यय हुआ था। एम ओ डी ने उत्तर में कहा कि आधिक्य/बचत, अनुमोदित आर ई के पाँच प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर थे, किंतु पाँच प्रतिशत विचलन की अनुज्ञेयता के समर्थन में कोई प्राधिकार प्रस्तुत नहीं किया।

2.3 व्यय का अपूर्ण लेखाकरण

2.3.1 पी सी डी ए (पी) द्वारा प्रदान की गई सूचना से यह प्रकट हुआ कि प्रत्येक वर्ष में व्यय की बडी राशि को उस वर्ष के पेंशन लेखा शीर्ष में बुक नहीं किया गया था तथा पिछले वर्षों का व्यय "आर बी आई उचंत अवर्गीकृत" शीर्ष (**तालिका 5**) में पड़ा था, क्योंकि बैंकों ने पी सी डी ए (पी) को विस्तृत भुगतान स्क्रॉल प्रदान नहीं किए थे, जिसके आधार पर पी सी डी ए उस राशि को अंतिम व्यय शीर्ष में बुक करेगा। एम ओ डी ने बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम 7-10 प्रतिशत पेंशन भुगतान स्क्रॉल पी सी डी ए (पी) में प्राप्त नहीं हुए।

तालिका 5 : आर बी आई उचंत (अवर्गीकृत) में पड़ी राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में पड़ी रहने वाली राशि
2011-12	5,887.17
2012-13	5,444.90
2013-14	8,388.07
2014-15	4,090.92
2015-16	6,831.95

पी सी डी ए (पी) द्वारा प्रदत्त सूचना से आगे यह प्रकट हुआ कि उचंत शीर्ष की राशि को अनेक वर्षों तक आगे ले जाया गया, जैसा कि **तालिका 6** इंगित करती है।

तालिका 6 : 2014-15 के अंत में आर बी आई उचंत (अवर्गीकृत) का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आर बी आई उचंत अवर्गीकृत
2008-09 तक	247.74
2009-10	368.36
2010-11	68.21
2011-12	711.26
2012-13	55.31
2013-14	112.14
2014-15	2,527.90
कुल	**4,090.92**

2.3.2 उचंत शीर्ष में बकाया शेष से यह प्रकट होता है कि सरकारी लेखाओं में बुक किये गए व्यय से संबंधित वर्ष में किए गए व्यय का सही चित्र प्रतिबिंबित नहीं हुआ है।

2.3.3 हमारी समीक्षा इंगित करती है कि इस समस्या का एक अंश, बैंकों द्वारा वितरित राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आर बी आई द्वारा निर्धारित प्रणाली के कारण था। मार्च 2007 तक, एम ओ डी द्वारा 01 जनवरी 1987 से आरंभ की गई 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रक्षा पेंशनरों के पेंशन भुगतान की योजना' के तहत बैंकों को उनके द्वारा वितरित राशि की प्रतिपूर्ति की जा रही थी। इस योजना के अंतर्गत, सरकारी कारोबार करने वाले आर बी आई अथवा भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) अथवा सहायक बैंक, बैंकों से प्राप्त भुगतान स्क्रॉल की जाँच करने, उनके द्वारा वितरित पेंशन की निवल राशि की उनको प्रतिपूर्ति करने, तथा बैंकों से प्राप्त मूल स्क्रॉल के साथ नामे संज्ञापन की प्रति लेखाकरण के लिए पी सी डी ए (पी) को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी थे। आर बी आई ने 01 अप्रैल 2007 से इस योजना को संशोधित किया और एकल खिड़की प्रणाली की नयी योजना लाई, जिससे आर बी आई के नागपुर स्थित केंद्रीय लेखा अनुभाग (सी ए एस) के द्वारा ही प्रतिपूर्ति की जाएगी और एजेंसी बैंकों को भुगतान स्क्रॉल सीधे पी सी डी ए (पी) को भेजना आवश्यक था। इस व्यवस्था के अंतर्गत पी सी डी ए (पी) यथा आर बी आई द्वारा संज्ञापित है, प्रारंभ में उचंत शीर्ष "आर बी आई उचंत अवर्गीकृत" के अंतर्गत भुगतानों को बुक करता है, जिसे भुगतान करने वाले बैंकों से भुगतान स्क्रॉलों की प्राप्ति पर समाशोधित किया जाएगा। चूँकि इस नयी व्यवस्था ने बैंकों को इस बात का लिहाज़ किए बिना कि क्या उन्होंने पी सी डी ए (पी) को समय पर भुगतान स्क्रॉल भेजे थे या नहीं, आर बी आई को उनके द्वारा भेजे गए संज्ञापन के आधार पर आर बी आई से प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने दिया है, इसलिए पी सी डी ए (पी) को समय पर भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करने हेतु बैंकों के लिए थोड़ा प्रोत्साहन था। इस नयी व्यवस्था के फलस्वरूप बैंकों द्वारा भुगतान स्क्रॉलों की प्रस्तुति पर आर बी आई और पी सी डी ए, दोनों का नियंत्रण कमज़ोर हुआ।

2.3.4. बैंकों द्वारा भुगतान स्क्रॉलों की प्रस्तुति में किसी भी अक्षमता से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं:

- उचंत शीर्ष में पड़ी राशि सही लेखा शीर्ष में बुक नहीं की जाएगी और वह उस वर्ष के लेखाओं की शुद्धता पर प्रभाव डालेगा। इसका उदाहरण वर्ष 2014-15 के लेखे हैं, जब वर्ष 2015-16 में समाशोधित उचंत राशि ₹10,450.03 करोड़ की बुकिंग के कारण वर्ष 2014-15 के लिए लेखाओं के समापन के बाद ₹49,999.73 करोड़ के संकलित व्यय को ₹ 60,449.75 में संशोधित किया गया। इस मामले के संबंध में संघ सरकार लेखे 2014-15 पर सी ए जी के 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 50 (वित्तीय लेखापरीक्षा) **(अनुलग्नक-3)** के पैरा 4.14 में उल्लेख किया गया था।

- चूँकि यह प्रतिपूर्ति, सरकार के रोकड़ शेष का संचालन करते हुए आर बी आई द्वारा की जाती है, इसलिए अशुद्ध दावों के आधार पर बैंकों को की जाने वाली कोई भी प्रतिपूर्ति न केवल सरकार के रोकड़ शेष को प्रभावित करेगी, बल्कि बैंको

द्वारा भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत किए जाने और पी सी डी ए द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किए जाने तक उसका पता नहीं चलेगा।

2.3.5 चूँकि बैंक अपने स्वचालित कोर बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से पेंशन का वितरण करते हैं, इसलिए उसके वितरण के बाद कम समय के अंदर स्क्रॉल के बनाए जाने और प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पेंशन के लिए किसी भी वर्ष में किया गया व्यय उसी वर्ष में हिसाब में लिया जाएगा, क्योंकि सरकारी लेखे वर्ष के समापन के बाद कुछ समय तक व्यय की बुकिंग के लिए खुले रखे जाते हैं। यह इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि अल्प एवं अधिक भुगतानों सहित कहीं भी भूल-चूक के लिए पी सी डी ए (पी) समय पर स्क्रॉलों की जाँच कर सकेगा।

2.4 निष्कर्ष और सिफारिशें

जैसे ऊपर इंगित किया गया है, उचंत शीर्ष में बकाया शेष से यह प्रकट होता है कि सरकारी लेखाओं में बुक किए गए व्यय से संबंधित वर्ष में किए गए व्यय का सही चित्र प्रतिबिंबित नहीं हुआ है। बैंकों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति को, पी सी डी ए (पी) को भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करने के उनके दायित्व से अलग करना सरकारी लेखाओं की शुद्धता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिससे राजस्व घाटे पर और संभावित अधिक भुगतानों के कारण आर बी आई के पास उसके रोकड़ शेष पर आनुषंगिक परिणाम होते हैं। यह इस समस्या का संबोधन करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

यह सिफारिश की जाती है कि आर बी आई के 2007 के मार्गनिर्देशों की समीक्षा करने के लिए एम ओ डी को आर बी आई के साथ मिलकर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक नियमित रूप से और समय पर पी सी डी ए (पी) को भुगतान स्क्रॉल भेजते हैं, पर्याप्त प्रोत्साहन/निरूत्साहन योजनाएं सम्मिलित करनी चाहिए। यह दो प्रकार से संभव हो सकेंगीः

- पी सी डी ए (पी) को भुगतान स्क्रॉल की प्रस्तुति के प्रमाण की शर्त पर आर बी आई को बैंकों को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए, उदाहरणार्थ, इलैक्ट्रॉनिक रसीद अथवा रिपोर्ट अपलोड़ करने की पुष्टि।
- दूसरी ओर, पी सी डी ए (पी) को ई-स्क्रॉल प्रस्तुत न करने के लिए आर बी आई को वित्तीय निरुत्साहन को प्रवर्तन में लाना चाहिए, उदाहरणार्थ, पिछले स्क्रॉलों को प्रस्तुत न करने के लिए प्रतिपूर्ति योग्य राशि का एक निश्चित प्रतिशत काटना।

एम ओ डी ने इन सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की (जून 2017)।

अध्याय III : पेंशन का प्राधिकरण

3.1 परिचय

3.1.1 अभिलेख कार्यालय (आर ओ) पी बी ओ आर के विषय में सूचनाओं का भंडार है। वे इकाइयों को सेवामुक्ति आदेश जारी करने के द्वारा पेंशन प्रस्ताव[8] प्रारंभ करने, आठ महीने पहले इकाइयों से (थल सेना) अंतिम रूप दिए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एल पी सी) - व - डाटा शीट के संबंध में पी ए ओ (ओ आर) से अनुमति प्राप्त करने, संबंधित पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए)[9] को ये कागज़ात भेजने और पी एस ए से पी पी ओ की प्राप्ति के बाद पेंशनर और पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) को उसका प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। थल सेना के मामले में, संबंधित इकाई व्यक्ति की सेवामुक्ति सूची अन्य संबद्ध कागज़ात जैसे डॉक्टरी जाँच रिपोर्ट और नामांकन आदि से संबंधित सूचना के साथ अभिलेख कार्यालय को अग्रेषित करता है।

3.1.2 आर ओ एल पी सी -व- डाटा शीटों के रूप में पी एस ए को सूचना भेजते हैं, जिसमें पेंशन मामले पर कार्यवाही करने और पी पी ओ जारी करने के लिए पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए) को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक आधारभूत सूचना समाविष्ट होती है। विभागीय अनुदेश[10] पी एस ए को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूचना एवं कागजात भेजने, सेवामुक्ति तिथि (डी ओ डी) के दो महीने पहले पी एस ए से पी पी ओ प्राप्त करने तथा उसे डी ओ डी के एक महीना पहले पेंशनर और पी डी ए को प्रेषित करने के लिए इकाइयों एवं आर ओ के लिए मापदंड निर्धारित करते हैं। थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के लिए मापदंडों का सार **अनुलग्नक - 4ए, 4बी, एवं 4सी** में दिया गया है।

---

[8] अधिकारियों के मामले में सेवा मुख्यालयों में संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रारंभ किए जाते हैं।

[9] पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद; सी डी ए (वायु सेना) और सी डी ए (नौ सेना)

[10] उदाहरणार्थ, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (थलसेना), एडजूटेन्ट जेनरल शाखा के अनुदेशों (नवंबर 2013) के अनुसार सभी अभिलेख कार्यालयों को थल सेना से संबद्ध व्यक्ति की सेवामुक्ति के एक महीना पहले तक पी डी ए को पी पी ओ की मूल प्रति के प्रेषण की समय सीमा का कड़ा अनुपालन करना आवश्यक है। उस व्यक्ति को पी पी ओ की प्रति साथ-साथ जारी की जानी चाहिए। एयर-एच क्यू/41005/नीति/पी ए- III दिनांक 11 अप्रैल 2007 में वायु सेना के लिए समान अनुदेश समाविष्ट हैं।

3.2 पेंशन के प्रसंस्करण और प्राधिकरण में विलंब

3.2.1 जैसे बताया गया है, अनुदेशों के अनुसार आवश्यक है कि सेवामुक्ति (डी ओ डी) के एक महीना पहले पेंशनरों और पी डी ए को पी पी ओ प्रेषित किए जाने चाहिए। हमने 54 आर ओ में से 10 में पी डी ए / पेंशनरों को पी पी ओ के प्रेषण की नमूना जाँच की और पाया कि अनेक मामलों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। हमारे निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित हैः

(i) अभिलेख कार्यालय जाट रेजिमेन्ट, बरेली में फरवरी 2015 में प्राप्त 94 मामलों में से 81 तथा फरवरी 2016 में प्राप्त 127 मामलों में से 95 में पेंशन कागज़ात संबंधित इकाइयों से देर से प्राप्त हुए थे।

(ii) अभिलेख कार्यालय जाट रेजिमेन्ट, बरेली में 2011-12 में 26.77 प्रतिशत पी पी ओ और 2012-13 में 32.27 प्रतिशत पी पी ओ को सेवामुक्ति की तिथि के बाद प्रेषित किए गए। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के पी पी ओ प्रगति रजिस्टर के निर्धारित कॉलम में प्रेषण की तिथि नहीं लिखी गई थी। अतः विलंब की व्याप्ति का पता नहीं लगाया जा सका।

(iii) अभिलेख कार्यालय, राजपुताना राइफल्स, दिल्ली में 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्रेषित 1815 पी पी ओ में से 485 (26.72 प्रतिशत) को सेवामुक्ति की तिथि के एक से दो महीने के बाद प्रेषित किया गया था।

(iv) अभिलेख कार्यालय ए एस सी(दक्षिण), बैंगलूर और अभिलेख कार्यालय ई एम ई, सिकन्दराबाद में नमूना जाँच किए गए 1040 और 985 मामलों में से क्रमशः 762 एवं 736 मामले निकटतम संबंधियों (एन ओ के) से विवरणों के अभाव में परिवार पेंशन के दावों को अंतिम रुप देने हेतु 31 अगस्त 2016 को बकाया थे।

(v) सेवानिवृत्त वायुसैनिक निदेशालय (डी ए वी)[11] , नई दिल्ली में 2011-12 से 2015-16 के दौरान पी एस ए अर्थात् जे सी डी ए (ए एफ) से प्राप्त 21,340 पी पी ओ में से 6658 पी पी ओ (31.20 प्रतिशत) पेंशनरों की सेवामुक्ति की तिथि के बाद प्राप्त हुए थे। सेवामुक्ति की तिथि के बाद पी एस ए से प्राप्ति में हुए काल विलंब का विश्लेषण **चार्ट 3** में दिया गया हैः

[11] डी ए वी वायु सेना कार्मिकों के पेंशन मामलों का प्रसंस्करण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। वायु सेना अभिलेख कार्यालय, ए एफ सी ए ओ, जे सी डी ए (ए एफ), पी सी डी ए (पी) और पी डी ए के बीच समन्वय स्थापित करना इसका कार्य है।

चार्ट 3: सेवामुक्ति की तिथि के बाद पी पी ओ की प्राप्ति और प्रेषण में डी ए वी में विलंब

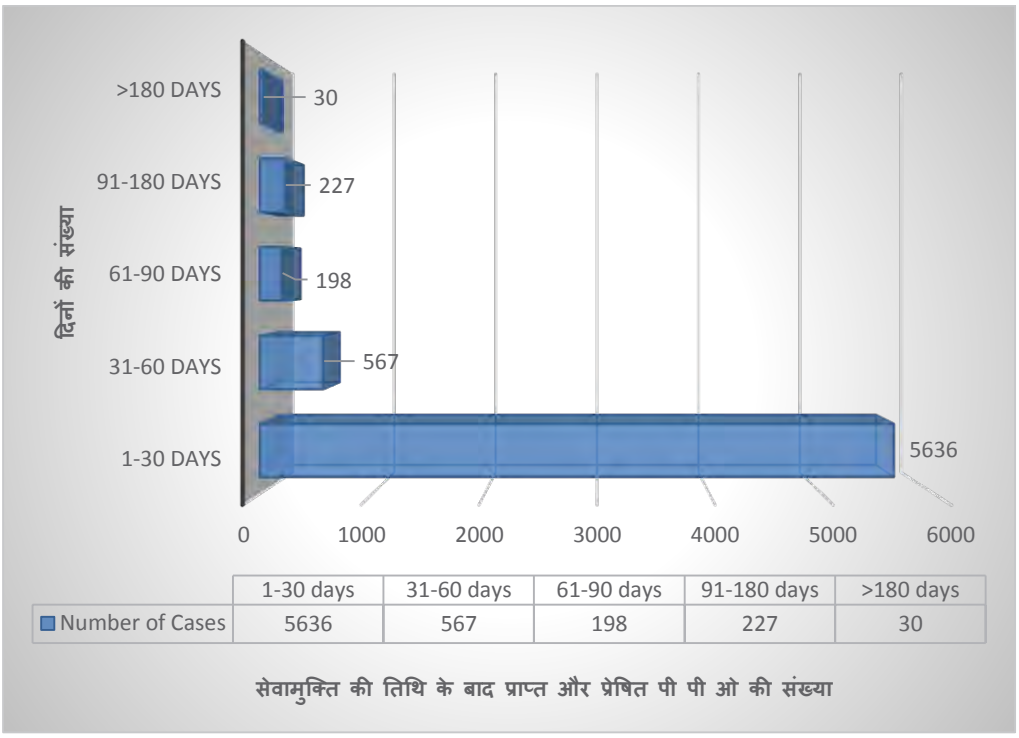

(vi) नमूना जाँच किए गए 225 पी पी ओ में से, सेवामुक्ति की तिथि के पहले डी ए वी में प्राप्त सभी 216 पी पी ओ सेवामुक्ति की तिथि के बाद पी डी ए एवं पेंशनरों को प्रेषित किए गए थे। सी डी ए (ए एफ) द्वारा की गई टिप्पणियों के फलस्वरूप वायु सेना अभिलेख कार्यालयों (ए एफ आर ओ) द्वारा अभिलेखों की देर से प्रस्तुति, इकाइयों से पेंशन कागजातों की विलंबित प्राप्ति तथा लेखापरीक्षा एजेंसियों (रक्षा लेखा विभाग) द्वारा विलंब से की गई टिप्पणियों को डी ए वी ने विलंब के लिए कारण बताया।

एम ओ डी ने बताया कि सेवामुक्ति/ सेवानिवृत्ति की तिथि से बहुत पहले ही पी एस ए को दावों की प्रस्तुति करने हेतु आर ओ अनुदेश जारी किए जा चुके थे (नवंबर 2013)। तथापि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से इंगित होता है कि उपरोक्त मामलों में उन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था।

3.3 पी पी ओ जारी करने में विलंब के कारण डी सी आर जी के भुगतान में विलंब

थल सेना के पेंशन विनियम भाग-II का पैरा 49 यह अनुबद्ध करता है कि साधारण सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान सेवामुक्ति की तिथि के तीन महीने के बाद प्राधिकृत किया गया है, तो सेवामुक्ति की तिथि के तीन महीने के

बाद की अवधि के लिए ब्याज दिया जाएगा; और उन सभी मामलों में, जहां ब्याज दिया गया है, उपदान के भुगतान में विलंब के लिए दायित्व निश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने देखा कि 01/04/2011 से 31/03/2016 के दौरान डी ए वी में जारी 21,340 पी पी ओ में से 237 पी पी ओ सेवामुक्ति की तिथि (डी ओ डी) से तीन महीने से अधिक के बाद जारी किए गए थे, जिससे न केवल पेंशनरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, बल्कि उपदान के विलंबित भुगतान पर ब्याज की संभावित देयता भी आवश्यक हो गई।

3.4 पी पी ओ में अनियमितताएं

3.4.1 स्थायी चिकित्सा भत्ता और ई सी एच एस अंशदान दोनों की संस्वीकृति

जो भूतपूर्व सैनिक 01 अप्रैल 2003 या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनको अनिवार्य रूप से अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) का सदस्य बनना है और वे स्थायी चिकित्सा भत्ता (एफ एम ए) पाने के हकदार नहीं हैं। विद्यमान पेंशनर, जो ई सी एच एस का चयन करते हैं, वे भी एफ एम के लिए हक़दार नहीं होंगे।

हमारी नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि पी सी डी ए (पी) द्वारा जारी छः पी पी ओ और जे सी डी (ए एफ) द्वारा जारी पाँच पी पी ओ में, यद्यपि पेंशनर ने ई सी एच एस का चयन किया था, एफ एम ए संस्वीकृत किया गया।

एम ओ डी ने बताया कि एफ एम ए और ई सी एच एस अंशदान दोनों के एक साथ अधिसूचन को रोकने के लिए वैधीकरण जाँच को प्रयोग में लाया गया था। तथापि पी सी डी ए (पी) के सॉफ्ट डाटा के विश्लेषण से 2,579 मामलों में पी सी डी ए (पी) द्वारा एफ एम ए और ई सी एच एस दोनों की संस्वीकृति का पता चला, जो यह सूचित करता है कि वैधीकरण जाँच को अधिक दृढ़ बनाने की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई दोहरा लाभ नहीं मिला है, पहचान किए गए मामलों में अधिक जाँच करने की आवश्यकता थी।

3.4.2 प्रधान सी डी ए (नौसेना) मुंबई द्वारा पेंशन की अनुमति

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डी सी आर जी) का परिकलन करते समय वर्गीकरण भत्ते[12] पर महँगाई भत्ता अनुमत नहीं है। प्रधान सी डी ए (नौ सेना) मुंबई में 606 नौसैनिक पेंशनरों (2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले नाविक) के अभिलेखों से पता चला कि 56 मामलों में डी सी आर जी के लिए गणनीय परिलब्धियों का परिकलन करते समय वर्गीकरण भत्ते पर डी ए को गलती से हिसाब में लिया। प्रधान सी डी ए

[12] वर्गीकरण भत्ता पी बी ओ आर को प्रत्येक वर्ग में निश्चित व्यवसाय संबंधी योग्यता प्राप्त करने पर दिया जाता है। पेंशन के लिए वर्गीकरण भत्ते का पचास प्रतिशत गिना जाता है।

(नौ सेना), मुबंई ने बताया कि उन मामलों में शुद्धिपत्र पी पी ओ जारी किए जाएंगे। इन मामलों में किए गए अधिक भुगतान की वसूली की निगरानी की आवश्यकता है।

3.5 पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया के कार्य-प्रवाह की समीक्षा की आवश्यकता

3.5.1 हमने पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के संबंध में थल सेना, वायु सेना एवं नौ सेना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की समीक्षा की, और देखा कि:

- थल सेना में, एक पेशन मामला पी डी ए और पेंशनर तक पहुँचने से पहले चार प्राधिकारियों और छः चरणों से होकर जाता है, इसके लिए निर्धारित समय आठ महीने है **(अनुलग्नक- 4 क)**।

- वायु सेना में, एक पेंशन मामला पी डी ए और पेंशनर तक पहुँचने से पहले पाँच प्राधिकारियों और छह चरणों से होकर जाता है, इसके लिए निर्धारित समय नौ महीने है **(अनुलग्नक- 4 ख)**।

- इसी प्रकार, नौ सेना में एक पेंशन मामला पी डी ए और पेंशनर तक पहुँचने से पहले चार प्राधिकारियों और छह चरणों से होकर जाता है; इसके लिए निर्धारित समय बारह महीने है **(अनुलग्नक- 4 ग)।**

हमने यह भी देखा कि पी बी ओ आर के विषय में, पी डी ए और पेंशनर को प्रेषित करने के लिए पी पी ओ पी एस ए द्वारा आर ओ को भेजे जाते हैं, जबकि अधिकारियों के विषय में पी पी ओ का प्रेषण पी एस ए सीधे पी डी ए को करते हैं।

3.5.2 हमने देखा कि अभिलेख कार्यालयों से पी सी डी ए (पी) में सूचना का प्रवाह एल पी सी- व- डाटा शीटों, हार्ड प्रतियों तथा सी डी में मैनुअल रूप में होता है, जहाँ हार्ड प्रति की जाँच करने के बाद सूचना को पी सी डी ए के सिस्टम में अंतरित किया जाता है। पी सी डी ए (पी) से पी पी ओ प्राप्त हो जाने के बाद उसे पी डी ए और पेंशनरों को आर ओ के द्वारा मैनुअल रूप में भेजा जाता है। इसी प्रकार, पी पी ओ की हार्ड प्रति की प्राप्ति के बाद पी डी ए, पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करने के लिए आवश्यक आधारभूत सूचनाओं से युक्त ग्राहक प्रोफाइल का एक डाटा बेस बनाने के लिए मैनुअल रूप में उस डाटा को अपने सिस्टम में प्रतिलेखन करते हैं। आर ओ, पी एस ए और पी डी ए, जो रक्षा विभाग की पेंशन प्रबंधन प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तीन स्तंभ हैं, के बीच कोई ऑनलाइन संयोजकता विद्यमान नहीं है। यह प्रणाली न केवल अक्षम और अधिक समय लेने वाली है, बल्कि विभिन्न चरणों पर प्रतिलेखन त्रुटियां होने की संभावना भी है। यदि उचित वैधीकरण जाँचों के साथ-साथ ऑनलाइन संयोजकता भी स्थापित की जाए तो सूचना का प्रवाह अधिक शीघ्र और कार्यक्षम हो सकता है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रेषण श्रृंख्ला के किसी भी स्थान पर बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के मूल स्थान (आर ओ) से गंतव्य स्थान (पी डी ए) में केवल

वैधीकृत डाटा ही अंतरित होता है। तीन स्तंभों की ऑनलाइन संयोजकता तथा सुरक्षित ढंग से वैधीकृत सूचना का स्वचालित प्रवाह, अनेक स्थानों में डाटा प्रविष्टि की आवश्यकता एवं प्रतिलेखन की सहवर्ती त्रुटियों को दूर करेंगे।

एम ओ डी ने बताया कि ऑनलाइन संयोजकता, सूचना का स्वचालित प्रवाह आदि के संबंध में सुझाए गए बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही थी तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया था।

3.6 निष्कर्ष और सिफारिशें

रक्षा पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया में लंबी- चौड़ी कार्यविधियां, पर्याप्त निगरानी का अभाव, अंशधारकों के बीच एक एकीकृत प्रेषण श्रृंखला, जो मैनुअल प्रतिलेखन त्रुटियों से मुक्त वैधीकृत सूचना के स्वचालित प्रवाह को समर्थ करता है, का अभाव सहित अनेक अक्षमताएं दिखाई देती हैं। इन अक्षमताओं पर काबू पाने से रक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली की कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता में बड़ी वृद्धि होगी।

पिछले वर्षों में, सिविल पक्ष की पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया को एक बड़ी सीमा तक सरल बनाया गया है तथा पेंशन संस्वीकृत करने का प्राधिकार विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को प्रत्यायोजित किया गया है। रक्षा पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया को सरल और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए यदि उसमें सिविल पेंशन पक्ष की कुछ बेहतरीन प्रक्रियाओं का समावेश किया जा सकता है, यह देखने के लिए इस मामले की अधिक जाँच की आवश्यकता है। एम ओ डी ने बताया कि सिविल पेंशन की तुलना में रक्षा पेंशन और अधिक जटिल थी और पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों का सीमित संख्या में होना आवश्यक था। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान (एन आई एस जी), जिसे पेंशन संस्वीकृति और वितरण प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए परामर्शदाता के रूप नियुक्त किया गया था, ने विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव नहीं दिया था।

पूर्वोक्त के आलोक में हम यह सिफारिश करते हैं कि:

- पेंशन के प्राधिकरण के लिए वर्तमान निगरानी व्यवस्था को मज़बूत बनानी चाहिए। पेंशन मामलों का प्रसंस्करण तथा पेंशनरों और पी डी ए को पी पी ओ का प्रेषण करने के लिए निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से प्रवर्तन होना चाहिए।

- एन आई एस जी अध्ययन के अलावा, पेंशन के प्राधिकरण की वर्तमान प्रक्रिया की यह देखने के लिए कि क्या उसे कम बोझिल और कम समय लेने वाला बनाने के लिए सरल बनाया जा सकता था, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। गैर-रक्षा अर्थात् सिविल पेंशन पक्ष के मामले में कार्यालयाध्यक्षों को पेंशन संस्वीकृत करने की प्रत्यायोजित शक्तियां हैं तथा केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय, विभागों और बैंकों के बीच अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करता

है। रक्षा पक्ष में समान प्रत्यायोजन खोजा जा सकता है, जिससे कार्यविधियां सरल हो जाएँगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित ढंग से केवल वैधीकृत डाटा ही आर ओ से पी एस ए में और पी एस ए से पी डी ए में प्रेषित होता है, प्रेषण श्रृंखला में सूचना के स्वचालित प्रवाह को समर्थ बनाने के लिए आर ओ, पी एस ए और पी डी ए- इन तीन स्तंभों को ऑनलाइन संयोजित किया जाना चाहिए।

- पी पी ओ को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे पी डी ए को भेजने के लिए पी एस ए को एक प्रणाली का विकास करना चाहिए, जिससे आर ओ के मार्ग से उन्हें वापस भेजने की आवश्यकता का निराकरण किया जा सके। यह पी डी ए को पी पी ओ के प्रेषण में लिए जाने वाले समय को बहुत कम करेगी और अपने सिस्टम में पी पी ओ डाटा का मैनुअल प्रतिलेखन करने में पी डी ए को लगने वाले काफी समय को बचाएगी। मैनुअल प्रतिलेखन में त्रुटियों की संभावना रहती है। पी सी डी ए (पी) की ई- पी पी ओ परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- प्रस्तावित स्वचालित प्रणाली को पेंशन प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण पर होने वाले विलंबों की बेहतर निगरानी करने के लिए एम आई एस का निर्माण करना चाहिए।

अध्याय IV: पेंशन वितरण

4.1 परिचय

4.1.1 पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए), जिनमें बैंक, रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय(डी पी डी ओ), कोषागार, पी ए ओ और डाकघर, कठुआ समाविष्ट हैं, उनके द्वारा पेंशन का वितरण किया जाता है। अधिकांश पेंशनर बैंकों (लगभग 74.8 प्रतिशत) या डी पी डी ओ (18.5 प्रतिशत) के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं। बैंकों ने अपने केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सी पी पी सी) की स्थापना की है, जो प्रत्येक बैंक में पेंशन के मामलों के प्रसंस्करण के लिए केन्द्र बिन्दु हैं।

4.1.2 मौजूदा व्यवस्था के तहत, बैंक अपनी ही निधि से पेंशन का भुगतान करते हैं और दैनिक आधार पर आर बी आई से प्रतिपूर्ति की मांग करते हैं। उन्हें व्यय के उचित लेखाकरण के लिए पी सी डी ए (पी) को विस्तृत पेंशन भुगतान स्क्रॉल भेजना आवश्यक है। बैंक समय-समय पर जारी किए जाने वाले सरकारी आदेशों के आधार पर, पेंशन को संशोधित करने के लिए भी अधिकृत हैं। आर बी आई, बैंकों को उनके द्वारा निपटाए गए लेनदेन की संख्या के आधार पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करती है। डी पी डी ओ सरकारी खाते को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करके पेंशन का भुगतान करते हैं। डी पी डी ओ द्वारा प्रयुक्त आश्रय सॉफ्टवेयर पेंशन के भुगतान को सुगम बनाता है और इसमें डी पी डी ओ द्वारा वितरित पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होता है। अन्य पीडीए जैसे कि कोषागार एवं डाकघर कठुआ द्वारा किए गए संवितरणों को बाद में महालेखाकार(ए एंड ई) या निदेशक (डाक विभाग) के माध्यम से समायोजित किया जाता है।

4.1.3 हमने सही पेंशन के सामयिक वितरण की जाँच करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 16 (सोलह) सी पी पी सी, रक्षा लेखा विभाग के 10 (दस) डी पी डी ओ और राज्य सरकारों के 08 (आठ) राजकोषीय कार्यालयों में पेंशन के वितरण की नमूना जाँच की। भौतिक नमूना के रूप में इसमें प्रत्येक पीडीए से कम से कम 300 मामले समाविष्ट थे।। इसके अलावा, 16 चयनित सी पी पी सी और 63 डी पी डी ओ के द्वारा अनुरक्षित थोक सॉफ्ट डाटा का डाटा विश्लेषिकी तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। इसके निष्कर्ष अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं।

4.2 रक्षा पेंशनरों को अल्प भुगतान

क्षेत्र-लेखापरीक्षा के दौरान पी डी ए से प्राप्त किए गए एक महीने के ई-स्क्रॉल और भुगतान वाउचरों का आई टी टूल्स का प्रयोग करते हुए किए गए विश्लेषण से इंगित हुआ कि 21,434 पेंशनरों (18.96 लाख में से) को अल्प भुगतान किया गया था। सामने

आए मामलों में कम भुगतान की राशि को पेंशनरों के पेंशन के वितरण की उस पूरी अवधि के लिए गणना की गई थी, जिस तिथि से उनकी पेंशन देय थी और यह ₹106.17 करोड़ थी जैसा कि नीचे **तालिका 7** में दर्शाया गया है:

तालिका 7: रक्षा पेंशनरों को किए गए अल्प भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	प्रभावित पेंशनरों की संख्या	अल्प दत्त (₹ करोड़ में)	सम्मिलित पी डी ए की संख्या
1	सेवा पेंशन का गलत निर्धारण	1,120	62.59	12
2	अर्हता सेवा का गलत पूर्णांकन	418	1.62	3
3	पेंशन के रूपांतरित भाग का गैर पुनःस्थापन	1,826	4.19	6
4	अशक्तता अंश का गैर भुगतान अथवा कम दरों पर भुगतान	35	0.47	5
5	अशक्तता पेंशन का पूर्णांकन नहीं किया जाना	1,254	10.89	3
6	वीरता पुरस्कारों में सम्मिलित मौद्रिक भत्तों का गैर-भुगतान	49	0.34	8
7	परिवार पेंशन का गैर-संशोधन	4,401	18.08	12
8	80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन का गैर-संशोधन आथवा गलत संशोधन	864	1.67	10
9	स्थायी चिकित्सा भत्ता का गैर-संशोधन	11,164	5.76	19
10	100 प्रतिशत अशक्तता वाले पेंशनरों को मिलने वाले सतत परिचर्या भत्ता का गैर-संशोधन	79	0.38	10
11	अनुग्रह राशि का गैर-संशोधन	224	0.18	9
	कुल	**21,434**	**106.17**	

इनमें से, दो सी पी पी सी[13] में 229 पेंशनरों और 20 डी पी डी ओ[14] में 37 पेंशनरों को ₹3500 की न्यूनतम प्रत्याभूत पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही थी। 297 मामलों में, मूल अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण संशोधन आदेश जारी किए जाने के बाद भी

[13] एस बी आई गुवाहाटी और बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली

[14] लाल किला-II दिल्ली, बरार स्कवैयर दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, जलंधर, अमृतसर, भटिंडा, रोपड़, जम्मू एस एन, जम्मू ए आर, उधमपुर, श्रीनगर, लेह, इलाहाबाद, गोरखपुर, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, बैंगलोर,वेल्लोर, कोट्टायम में 20 डी पी डी ओ

कई वर्षों तक पेंशन संशोधित नहीं की गई थी। पाए गए अल्प भुगतान के महत्वपूर्ण मामलों का सारांश **अनुलग्नक-5** में दिया गया है।

बाद में, जब आई टी टूल्स का प्रयोग करके 2011-12 से 2015-16 तक की पांच साल की अवधि के ई-स्क्रॉल के थोक डाटा का विश्लेषण किया गया था, तो उससे ₹ 228.85 करोड़ के संभावित अल्प भुगतान का पता चला जैसा कि **अनुलग्नक-6** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा विश्लेषण से निकले मामलों को विस्तृत जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित एजेन्सियों को सूचित किया गया था।

एम ओ डी ने बताया कि यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पी डी ए के साथ उठाया जा रहा है।

4.3 रक्षा पेंशनरों को अधिक भुगतान

4.3.1 इसी प्रकार, 17 पी डी ए और 08 कोषागारों में एक महीने के पेंशन भुगतान लेखाओं और ई-स्क्रॉल के विश्लेषण से इंगित हुआ कि पी डी ए द्वारा 11,973 (18.96 लाख में से) रक्षा पेंशनरों को डाटाबेस में गलत जन्मतिथि, अर्हता सेवा, और सेवा समूह आदि दर्ज होने के कारण अधिक भुगतान किया गया था । जब से पेंशनरों को पेंशन देय थी, उस तिथि से शुरु करके वितरण की संपूर्ण अवधि में पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की गणना की गई तो यह राशि ₹118.23 करोड़ थी। विवरण नीचे **तालिका 8** में दिया गया है:

तालिका 8 : रक्षा पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	प्रभावित पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	सम्मिलित पी डी ए की संख्या
1	पेंशन का गलत निर्धारण	509	36.52	15
2	अर्हता सेवा का गलत पूर्णांकन	616	2.84	1
3	महंगाई राहत	110	0.88	7
4	पेंशन का रूपांतरण	609	10.14	9
5	अशक्तता पेंशन(ब्रोड-बैंडिंग)	103	0.84	3
6	दोहरी अशक्तता	1	0.07	1
7	परिवार पेंशनर को अशक्तता	1	0.08	1
8	वीरता पुरस्कार	8	0.02	2
9	परिवार पेंशन	39	0.55	5
10	अतिरिक्त पेंशन	233	1.65	7
11	अनियमित अतिरिक्त पेंशन	83	1.27	1
12	स्थायी चिकित्सा भत्ता (एफ एम ए) का अनियमित भुगतान	8,604	21.62	19

क्रम संख्या	विवरण	प्रभावित पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	सम्मिलित पी डी ए की संख्या
13	सतत परिचर्या भत्ता	8	0.08	2
14	एन सी सी अधिकारियों को अधिक भुगतान	41	5.95	9
15	सिविलियनों की पेंशनों का गलत संशोधन	100	2.95	1
16	रिजर्व सैनिक[15]	908	32.77	11
	कुल	**11,973**	**118.23**	

एम ओ डी ने बताया कि अधिक भुगतान अनके डाटाबेस में गलत प्रविष्टि/गलत सूचना के कारण की गयी थी और पी डी ए को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गयी थी ।

4.3.2 बाद में, जब समीक्षाधीन पाँच वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात 2011-12 से 2015-16 तक के ई-स्क्रॉल के थोक सॉफ्ट डाटा का आई टी टूल्स का उपयोग कर विश्लेषण किया गया, तब ₹518.70 करोड़ के संभावित अधिक भुगतान का संकेत मिला । इसका विवरण **अनुलग्नक-6** में दिया गया है। संबंधित एजोंसियों को विस्तृत सत्यापन और उचित कार्रवाई के लिए सभी मामलों की सूचना दे दी गई थी।

एम ओ डी ने बताया कि यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पी डी ए के साथ उठाया जा रहा है।

4.4 दोहरे भुगतान

फरवरी 2015 के महीने के लिए 16 बैंकों के सी पी पी सी और डी पी डी ओ के ई-स्क्रालों में 10,55,000 अभिलेखों का आई टी टूल्स की सहायता से विश्लेषण करने पर हमें 153 ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति हुई जिसमें या तो एक ही पी पी ओ संख्या को दो खातों से जोड़ा गया था या फिर एक ही खाते में दो पेंशन जमा की गई थी। बैंकों में इस बात का सत्यापन करने पर यह पता चला कि इनमें दोहरे भुगतान वाले 59 मामले

[15] सशस्त्र बलों में सक्रिय सेवा के दौरान प्रदान की गई सेवा "कलर सेवा" कही जाती है और रिजर्व में 'रिजर्व सेवा' कहलाती है। सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम "कलर सेवा" 15 वर्ष है। 15 वर्षों की संयुक्त "कलर सेवा" और "रिजर्व" सेवा के बाद सेवानिवृत्त व्यक्तियों को "रिजर्विस्ट पेंशन" प्रदान की जाती है। सेवा कार्मिकों पर लागू आदेशानुसार पी डी ए के द्वारा अनियमित संशोधन के कारण अधिक भुगतान हुए।

थे जिसमें से 26 मामलों में बैंकों को दोहरे भुगतान का पता पहले ही लगा था और वसूली के लिए कार्रवाई कर चुके थे। हालाँकि ₹91.90 लाख के दोहरे भुगतान वाले 33 मामलों पर वसूली या तो आरंभ नहीं की गयी थी या फिर पूर्ण नही हुई थी। शेष 94 मामलों (153-59) में, आँकड़ों की प्रविष्टि की गलतियाँ थीं (बैंकों द्वारा पी पी ओ संख्या की गलत प्रविष्टि की गई) जिन्हें इंगित करने पर परिशोधित कर दिया गया था।

एम ओ डी ने बताया (जून 2017) कि 33 में से 19 मामलों में वसूली शुरू हो गई थी और शेष मामलों में वसूली के लिए आवश्यक संपर्क किया जा चुका था।

4.5 पेंशन वितरण में अन्य अनियमितताएं

- बैंक ऑफ बड़ौदा (बी ओ बी), नई दिल्ली में 26 खाते ऐसे थे जिनमें 03 से 92 पेंशनरों की पेंशन एक ही खाते में जमा की गई थी।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(सी बी आई) मुम्बई, में समान पी पी ओ के प्रति पेंशनरों के खातों में दो बार पेंशन जमा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2013-16 की अवधि में ₹34.94 लाख का अधिक भुगतान किया गया।
- उसी प्रकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 9 मामलों में दो बार राशि जमा की, जिससे ₹10.62 लाख का अधिक भुगतान हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रक्षा शीर्ष के अंतर्गत अन्य विभागों के चार पेंशनरों को ₹ 20.25 लाख का भुगतान भी किया।
- एस बी आई मुम्बई ने 2011-12 से 2015-16 के दैरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के चार पेंशनरों को ₹12.56 लाख का भुगतान किया।
- एस बी आई गुवाहाटी में, 2,453 मामलों में जन्मतिथि 31/12/3001 दर्ज की गई थी। एस बी आई गुवाहाटी ने पी पी ओ नहीं होने के बावजूद पेंशन का भुगतान अधिकृत किया। 32 पी पी ओ लापता थे और 51 के जल जाने की रिपोर्ट दर्ज थी।
- एस बी आई पटना में, सी पी पी सी के पास 1496 पेंशनरों के पी पी ओ नहीं थे और मार्च 2016 तक पेंशन का भुगतान पी पी ओ के बिना किया जा रहा था।
- पौड़ी गढ़वाल कोषागार में, कुल 2285 पेंशनरों में 30 प्रतिशत पेंशनरों की जन्मतिथि कंप्यूटर में दर्ज नहीं की गई थी और 29.6 प्रतिशत पेंशनरों की जन्मतिथि 15/07/1947 दर्ज थी। चार मामलों में इस कोषागार द्वारा ₹31.83 लाख का भुगतान भी मूल पीपीओ के बिना किया गया।

- फर्रूखाबाद कोषागार में, चार पीपीओ लापता थे (दीमक व नमी के कारण नष्ट बताए गए) और पेंशन का भुगतान पी पी ओ के बिना अधिकृत किया जा रहा था।

एम ओ डी ने बताया (मार्च 2017) कि पी डी ए से विवरण मांगा गया था, जिससे उचित आदेश जारी किया जा सके।

4.6 अधिक भुगतान की वसूली में विलंब

आर बी आई अनुदेश यह अनुबद्ध करते हैं कि अधिक भुगतानों को पेंशनर के लिए निर्धारित राशि के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए। ई-स्क्रालों एवं पेंशनरों की प्रोफाइलों की जाँच से यह पता चला कि पी डी ए द्वारा 6,900 रक्षा पेंशनरों को किए गए ₹62.04 करोड़ के अधिक/गलत भुगतान की वसूली में देरी (पी डी ए द्वारा पहचान की गई) की गई थी **(अनुलग्नक-7)**। कुछ मामलों में, ₹1.00 प्रति महीने की दर से वसूली की गई थी जिसका यह अर्थ था कि पेंशनर के संपूर्ण जीवनकाल में भी उस की पूरी वसूली संभव नही थी। एम ओ डी ने कहा कि परीक्षण एवं आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिक भुगतान का विवरण मंगाया गया था।

4.7 पेंशनरों के आँकड़ों में कमियाँ

जैसा कि पैरा 1.6.2 में उल्लिखित है, पी सी डी ए (पी) कार्यालय और पी डी ए से प्राप्त 2011-12 से 2015-16 के ई-स्क्रॉल डाटा को हमने समेकित किया, जो संख्या में कुल लगभग 7.15 करोड़ अभिलेख थे। इस डाटा को पी सी डी ए (पी) द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों की प्रोफाइलों से मिलाया गया। **अनुलग्नक-8** में ई-स्क्राल के डाटा और पी सी डी ए (पी) द्वारा अनुरक्षित डाटा के बेमेल का सारांश दिया गया है।

यह देखा गया कि पी डी ए द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली पेंशनरों की प्रोफाइल के लिए पी सी डी ए(पी) द्वारा निर्धारित प्रारूप में पी डी ए द्वारा 67 क्षेत्रों को लेना आवश्यक था, जैसे कि नाम, रैंक, सेवा के दौरान पहचान संख्या,जन्मतिथि आदि। तथापि, पीडीए द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों की प्रोफाइल में अपूर्ण और गलत आंकड़े थे। उदाहरण के लिए:

(i) खाता संख्या नहीं होना

17 में से 11 पी डी ए में पेंशन भुगतान स्क्रॉल में दिखाई देने वाला बैंक खाता नंबर प्रोफ़ाइल डाटाबेस में नहीं दिखाई दिया। पी डी ए में बेमेल लेनदेन की संख्या 78 से 4,41,980 तक थी **(**स्तंभ 4, **अनुलग्नक -8)**। यह एक महत्वपूर्ण वैधीकरण जांच के अभाव को इंगित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशनों को सही खाते में भुगतान किया जाता है।

(ii) नाम एवं पी पी ओ संख्या का लापता होना

17 में से 13 पी डी ए में स्क्रॉलों में या तो नाम या पी पी ओ संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे लेनदेन की संख्या जिसमें पी डी ए अभिलेखों में नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, 137 से 2,08,844 के बीच थी; और पी डी ए अभिलेख जिसमें पी पी ओ उल्लेखित नहीं थे, ऐसे अभिलेखों की संख्या 26 से 1,38,991 के बीच थी **(**स्तंभ 5 और 6**, अनुलग्नक -8)**।

(iii) जन्मतिथि में त्रुटि

आंध्रा बैंक को छोड़कर सभी पी डी ए में, कई मामलों में जन्म तिथि को या तो नहीं लिखा गया था या गलत लिखा गया था। उदाहरण के लिए,

क) 27,55,097 लेनदेन में जन्म तिथि को नहीं लिखा गया था।

ख) 2,55,483 लेनदेन में जन्म तिथि को 31/12/3001 उल्लेखित किया गया था।

ग) 23,954 लेनदेन में जन्म तिथि पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों से मेल नहीं खाती थी।

घ) 14,125 लेनदेन में जन्म तिथि बैंक प्रोफाइल से मेल नहीं खाती थी।

ङ) 162,777 लेनदेन में, पेंशनरों की प्रोफाइल में दी गई जन्म तिथि के अनुसार पेंशनरों ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी सेवा की थी (स्तंभ 8**, अनुलग्नक-8**)

चूंकि 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु में दी जाने वाली 'अतिरिक्त पेंशन' के मामले में जन्म तिथि का वित्तीय निहितार्थ होता है, जन्म तिथि का ना होना अथवा गलत होना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण का अभाव था।

(iv) एक ही पी पी ओ के लिए पेंशन अलग-अलग खातों में जमा किया जाना

चूंकि पी पी ओ में एक अनन्य संख्या होती है, एक पी पी ओ के अंतर्गत दो अलग बैंक खातों में भुगतान नहीं किया जा सकता है। हमने देखा कि 9,696 मामलों में (स्तंभ 9**, अनुलग्नक-8**) एक ही पी पी ओ के अंतर्गत पेंशन को एक से अधिक बैंक खातों में जमा किया गया था। इससे इंगित होता है कि या तो स्क्रॉल में पी पी ओ संख्या गलत दी गई थी अथवा किसी एक खाते में अनियमित भुगतान किया गया था।

(v) विभिन्न पी पी ओ के लिए पेंशन एक बैंक खाते में जमा किया जाना

यद्यपि व्यक्तिगत पेंशनर के बैंक खाते में एक अनन्य पी पी ओ के आधार पर पेंशन जमा की जाती है, हमने 38,127 ऐसे मामले देखे जहाँ पर विभिन्न पी पी ओ संख्या

के अंतर्गत पेंशन को एक ही बैंक खाते में जमा किया गया था(स्तंभ 10**, अनुलग्नक-8**)। इससे इंगित होता है कि या तो पी पी ओ संख्या या खाता संख्या गलत दी गई थी।

(vi) पी सी डी ए डाटा से बैंक स्क्रॉल डाटा का बेमेल होना

पी पी ओ में पी सी डी ए (पी) को प्राप्त पेंशनरों के प्रोफाइल डाटा पर आधारित पेंशनरों का व्यक्तिगत और सेवा विवरण होता है। पी सी डी ए (पी) द्वारा बैंकों को स्याही से हस्ताक्षरित पी पी ओ जारी किए जाते हैं, जो कि पेंशन वितरक एजोंसियाँ होती हैं। बैंक अपने लिए पेंशनरों की प्रोफाइल बनाने के लिए पी पी ओ के डाटा का प्रतिलेखन करते हैं जिसके आधार पर पेंशन वितरित की जाती है। बैंकों द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों की प्रोफाइल पर आधारित डाटा ई-स्क्रालों में होता है।

हालाँकि, बैंकों/डी पी डी ओ के ई-स्क्रॉल डाटा को पेंशनरों की प्रोफाइल(पी सी डी ए (पी) द्वारा अनुरक्षित) से मिलान करने पर "बैंक खाता संख्या" और "पी पी ओ संख्या" के शीर्ष में यह पाया गया कि 5,15,869 मामलों **(**स्तंभ 11, **अनुलग्नक-8)** में स्क्रॉल अभिलेख पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे। इससे प्रकट होता है कि या तो दी गई पी पी ओ संख्या गलत थी अथवा पी सी डी ए (पी) द्वारा पी डी ए के अभिलेखों से मिलान नहीं किया गया था। डाटा के अशुद्ध होने और पी डी ए एवं पी सी डी ए (पी) के बीच समाधान नही हो पाने के कारण पेंशन के गलत या कपटपूर्ण भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

एम ओ डी ने बताया (जून 2017) कि मामले की अधिक जाँच की आवश्यकता थी और ई-स्कॉलों की जानकारी के साथ मास्टर डाटा का मेल-मिलाप करने के लिए एक डाटा परिशोधन कक्ष खोला गया था।

4.8 डी पी डी ओ द्वारा पेंशन का वितरण

रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डी पी डी ओ) के माध्यम से रक्षा पेंशन के लेखाकरण और वितरण के लिए सी जी डी ए द्वारा **आश्रय** सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। हमने देखा कि:

- पी सी डी ए (पी) के डाटाबेस के साथ गैर-एकीकरण की वजह से, डी पी डी ओ आश्रय सॉफ्टवेयर में मैनुअल रूप से आंकड़ों को प्रविष्ट कर रहे थे तथा डी पी डी ओ स्तर पर सूचना की अनुपलब्धता के कारण कई क्षेत्रों को रिक्त छोड़ रहे थे।

- प्रविष्ट किए गए डाटा के वैधीकरण के अभाव में डाटा का प्रमाणीकरण चुनौतीपूर्ण था। उदाहरण के लिए: कई मामलों में "रेकस्टैट्स" फील्ड में केवल वर्णानुक्रमिक के बजाय एल्फ़ान्यूमेरिक डाटा स्वीकार किए जा रहे थे; "दिनांक" फ़ील्ड '0' से '99999999' तक किसी भी संख्या को स्वीकार कर रहा था; और "अर्हता सेवा" फ़ील्ड '0' स्वीकार कर रहा था।

  आश्रय सॉफ्टवेयर के हिस्ट्री मास्टर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि:

  I. 425,495 अभिलेखों में से 1,854 में, अलग-अलग रेजिमेंटल नंबर वाले दो पेंशनरों के नाम के सामने एक ही पी पी ओ नंबर था।

  II. अशक्तता / इनवैलिड आउट के 31,419 मामलों में, अशक्तता के प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया था।

एम ओ डी ने बताया (मार्च 2017) कि ई-पी पी ओ परियोजना विकास के चरण में थी और पी सी डी ए (पी) और डी पी डी ओ के बीच डाटाबेस के एकीकरण को उस परियोजना के पूरा होने के बाद किया जा सकता था।

4.9 पेंशनरों से आयकर की गैर-कटौती

रक्षा पेंशन भुगतान निर्देशों के पैरा 88.1 के अनुसार पेंशनरों से स्रोत पर आयकर (टी डी एस) की कटौती करना पी डी ए की जिम्मेदारी है।

- आश्रय के डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डी पी डी ओ ने 4,38,234 पेंशनरों में से केवल 157 के मामले में आयकर की कटौती की (मार्च 2016)।

- उधम सिंह नगर कोषागार ने मार्च 2015 में 230 सेवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया लेकिन उनसे आयकर की कटौती नहीं की। मार्च 2015 में पौड़ी गढ़वाल कोषागार ने 1140 सेवा पेंशनरों को पेंशन का वितरण किया, लेकिन इनमें से उप-कोषागार, सतपुली के 344 सेवा पेंशनरों को छोड़कर किसी से भी आयकर की कटौती नहीं की।

- सी पी पी सी, बी ओ बी, नई दिल्ली के स्क्रॉल की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2016) से पता चला कि 81 मामलों में हालाँकि कुल भुगतान छूट सीमा से अधिक था, आयकर की कोई कटौती नहीं की गई थी।

- अन्य पी डी ए जिनके द्वारा टी डी एस की कटौती नहीं की गई, वह थे, डी पी डी ओ, सिकंदराबाद (3129 मामले), कोषागार, कोझीकोड (862 मामले), डी पी डी ओ एरणाकुलम (4154 मामले) और सी पी पी सी, बी ओ एम, पुणे (32,985 मामले) ।

हमने देखा कि एस बी आई और डी पी डी ओ को छोड़कर पी सी डी ए (पी) और पी डी ए से प्राप्त थोक डाटा में स्थायी खाता संख्याएं (पैन) उपलब्ध नहीं थीं। पेंशनर के मूल विवरण में पैन के होने से पी डी ए को स्रोत पर कर कटौती करने की सुविधा मिल सकती थी।

4.10 जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन

पेंशनरों को वर्ष में एक बार नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। हमने देखा कि कुछ मामलों में, जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

नामित प्राधिकारी द्वारा प्रारूपानुसार, हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना पेंशनरों के लिए एक चुनौती हो सकती है, विशेषकर बढ़ती आयु के साथ। इस समस्या को कम करने के लिए पी सी डी ए (पी) ने सरकार की जीवन प्रमाण योजना के माध्यम से प्राप्त डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को एक स्वीकार्य दस्तावेज़ के रूप में लिया था। जीवन प्रमाण पहल नागरिकों को मोबाइल फोन और नामित सेवा केन्द्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक के द्वारा सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करती है।

हालाँकि जीवन प्रमाण का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है, बैंकों के भुगतान स्क्रॉलों की जाँच से हमें यह पता चला कि उनमें से केवल कुछ बैंकों ने (उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) आधार संख्या ली थी और वह भी अपने पेंशनरों के केवल एक हिस्से की ली थी।

4.11 अन्य टिप्पणियां

डाकघर, कठुआ 4,599 रक्षा पेंशनरों के रक्षा पेंशन वितरण खातों का अनुरक्षण करता है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इस डाकघर द्वारा मैनुअल रूप से पेंशन वितरण के अभिलेख का अनुरक्षण किया जाता है।

4.12 निष्कर्ष और सिफारिशें

अल्प-भुगतान और अधिक-भुगतान के कारणों का विश्लेषण इंगित करता है कि यह ज्यादातर, पेंशन के गैर-संशोधन या गलत संशोधन और पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) के डाटाबेस में पेंशनरों की श्रेणी, समूह, अर्हता सेवा और जन्म तिथि आदि को गलत प्रविष्ट किए जाने के कारण हुए थे। पेंशन वितरण एजेंसियाँ (पी डी ए) अपने पेंशनरों की प्रोफाइल का डाटा बेस पी एस ए द्वारा जारी किए गए पी पी ओ के डाटा को मैनुअल रूप से अपने सिस्टम में प्रतिलेखन के द्वारा बना रही थीं। इस प्रणाली में

प्रतिलेखन त्रुटि की संभावना थी, जैसा कि ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में प्रकट होता है। इसके अलावा, चूँकि पीडीए को पेंशन का संशोधन आदि करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, इसलिए उनके द्वारा की गई त्रुटियों को समय पर खोज निकालना, पी सी डी ए(पी) को समय पर भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत किए जाने और पी सी डी ए (पी) द्वारा इन स्क्रॉलों की व्यापक लेखापरीक्षा पर निर्भर करता था।

पी एस ए और पी डी ए के डाटाबेस का गैर-एकीकरण तथा पी डी ए द्वारा पी सी डी ए (पी) को भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करने में अपर्याप्त नियंत्रण से प्रणालीगत अक्षमताएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के वितरण में अल्प-भुगतान, अधिक-भुगतान एवं अन्य अनियमितताएं दिखीं, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चित है। ये कमियाँ परिचायक थीं और एक अधिक मजबूत पेंशन वितरण प्रणाली की आवश्यक्ता को रेखांकित कर रही थीं जो इस प्रणाली को स्वचालित बनाने में विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा पहले से प्राप्त प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के लाभों पर निर्मित होगी ।

उपरोक्त के आलोक में, निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- पेंशन प्रणाली का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे पेशनरों की महत्वपूर्ण जानकारी का प्रवाह अपने मूल स्थान (उदाहरण, अभिलेख कार्यालय) से पेशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए) के माध्यम से अपने गंतव्य (पी डी ए) तक सहज और इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता हो। यह विशेष रूप से पी डी ए में सूचना के मैनुअल प्रतिलेखन की आवश्यकता को कम कर देगी जिससे संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ गलतियों की संभावना भी बंद होगी।

- मूल स्थान से प्राप्त जानकारी की व्यापक वैधीकरण जांच होनी चाहिए और उचित प्राधिकार एवं लेखापरीक्षा जाँच के बिना किसी भी मध्यवर्ती चरण में इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

- पी सी डी ए (पी) को स्क्रॉलों की समग्र ई-लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करना चाहिए ताकि अल्प एवं अधिक भुगतान सहित तत्कालिक विचलनों का समय पर पता लगाया जा सके, जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके।

- डाकघर, कठुआ को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एम ओ डी को डाक विभाग से संपर्क करना चाहिए।

- आर ओ द्वारा अनुरक्षित मूल प्रोफ़ाइल में पैन नंबर प्रविष्ट किया जाना चाहिए और टी डी एस आसान बनाने के लिए पी डी ए तक प्रेषण श्रृंखला के माध्यम से पहुंचना चाहिए।

- पी डी ए को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रणाली को दुविधा रहित बनाने के लिए आर ओ द्वारा व्यक्ति के सेवा में रहते हुए ही आधार संख्या प्राप्त कर लेनी चाहिए और बुनियादी जानकारी के रूप में प्रेषण श्रृंखला से होते हुए पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों के माध्यम से पेंशन वितरण एजेंसियों तक पहुंचानी चाहिए। मौजूदा मामलों में, पेंशनरों की आधार संख्या प्राप्त करने एवं पी डी ए का डाटाबेस भरने के लिए, पी एस ए और पी डी ए द्वारा एक तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यक्ता थी । इससे पेंशनरों के लिए समस्या रहित जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

- पी एस ए और पी डी ए को जीवन प्रमाण के फायदों का प्रचार करना चाहिए ।

एम ओ डी ने सिफारिशों को नोट करते हुए यह भी कहा कि पेंशनरों और उनके आश्रितों के पैन, आधार, मोबाइल नंबर और ई-मेल पतों का समावेश करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि आधार संख्या के अभाव में भारतीय नागरिकों को कोई पी पी ओ जारी नहीं किया जाएगा।

अध्याय V : आंतरिक नियंत्रण

पिछले अध्यायों में विवेचित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर रक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण कमज़ोरियां देखी जा सकती हैं। प्रणाली को अधिक पुष्ट, कार्यक्षम एवं प्रभावकारी बनाने के लिए इन कमज़ोरियों को, जिनकी आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है, दूर करने की आवश्यकता है।

5.1 अभिलेख कार्यालयों में नियंत्रण में कमज़ोरियां

अभिलेख कार्यालयों में नियंत्रणों की कमी थी, जिसके फलस्वरूप विभिन्न चरणों पर पेंशन दावों के प्रसंस्करण में विलंबों की अपर्याप्त निगरानी हुई। यह देखा गया कि यद्यपि अभिलेख कार्यालयों को सेवा अभिलेखों के भंडार गृह के रूप में डिज़ाइन किया गया था, फिर भी भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के पहले इकाइयों आदि से सूचना प्राप्त होने में अत्यधिक समय लिया जा रहा था, जो अक्सर विलंबों के लिए महत्वपूर्ण कारण था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब पेंशन मामलों पर कार्यवाही करने का समय आता है तो अभिलेख कार्यालयों के पास अद्यतन सूचना होती है और इकाइयों के पास मामले वापस भेजने की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम किया जाता है, वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है।

5.2 पी सी डी ए (पी) में नियंत्रण की कमियां

5.2.1 पेंशनरों की संख्या में विसंगति

रक्षा मंत्रालय द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किए गए विवरण (फरवरी 2017) के अनुसार 01/04/2016 तक रक्षा पेंशनरों की संख्या 25,00,631 थी, जिसकी पुष्टि सी जी डी ए द्वारा लेखापरीक्षा को की गई थी। तथापि, बैंकों के सभी सी पी पी सी एवं अन्य पेंशन वितरण एजेंसियों से लेखापरीक्षा द्वारा पेंशनरों से संबंधित मार्च 2016 के डाटा को समेकित करने पर पेंशनरों की संख्या 29,14,594 निकली। इन संख्याओं में अंतर का होना सही सूचना अनुरक्षित करने में पर्याप्त नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है और सी जी डी ए/पी सी डी ए (पी) द्वारा इसका समाधान करने की आवश्यकता है। यह, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पी डी ए अपने भुगतान स्क्रॉल प्रतिपूर्तियां करने के तुरंत बाद भेजते हैं, प्रभावशाली नियंत्रण के लिए पेंशनरों की सूचना ग्रहण करने में सच्चाई का केवल एक ही स्रोत और पी सी डी ए (पी) के कार्यालय में प्राप्त स्क्रॉल में दी गई सूचनाओं की समग्र लेखापरीक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

एम ओ डी ने बताया कि प्रत्येक पी डी ए से एकत्रित डाटा से इंगित हुआ कि 01 अप्रैल 2017 तक पेंशनरों की संख्या 30,31,618 थी। तथापि, इस बात का कोई संकेत नहीं था कि इस संख्या का जारी किए गए पी पी ओ के मास्टर डाटा बेस के साथ मिलान किया गया था; जिसके अभाव में पेंशनरों की संख्या की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं हो पाया। एम ओ डी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को पेंशनरों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करते समय जारी किए गए पी पी ओ की संख्या के साथ डाटा का मिलान करने की आवश्यकता है।

5.2.2 व्यय के लेखाकरण में नियंत्रण की कमियां

पी सी डी ए (पी) को बैंकों से प्राप्त विस्तृत भुगतान स्क्रॉल के साथ आर बी आई द्वारा संज्ञापित प्रतिपूर्ति की राशि का मिलान करने के बाद पेंशन पर होने वाले व्यय को सही शीर्ष में बुक करने की आवश्यकता है। चूँकि बैंकों से स्क्रॉल की प्राप्ति अनियमित है, पी सी डी ए (पी) को पेंशन पर होने वाले सही व्यय को रिकार्ड करने पर कोई नियंत्रण नहीं है और आर बी आई द्वारा बैंकों को प्रतिपूर्ति किए जा चुके हज़ारों करोड़ों का व्यय उचंत शीर्ष में अनेक वर्षों तक लंबित पड़ा रहता है, जो भौतिक रूप में लेखे की शुद्धता को प्रभावित करता है। जैसा कि पैरा 5.3.2 में बताया गया है, आर बी आई द्वारा भेजे गए दिनांकवार मासिक लेखाओं (डी एम ए) में स्क्रॉल नंबरों का अभाव अथवा स्क्रॉल नंबरों में गलतियां, पी सी डी ए द्वारा व्यय की निगरानी एवं उसके सही लेखाकरण की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं।

5.2.3 पेंशन भुगतानों की अपर्याप्त लेखापरीक्षा

रक्षा लेखा विभाग की कार्यालय नियम पुस्तक अनुबद्ध करती है कि पेंशनरों को किए गए भुगतानों के लिए निर्धारित जाँचें की गई हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रक्षा पेंशन भुगतानों की लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पी सी डी ए (पी) के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से पेंशन लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा की व्याप्ति में पेंशन लेखाओं के 11 से 0.27 तक घटती प्रवृत्ति का पता चला, जैसा कि नीचे **चार्ट 4** में दर्शाया गया है। पी सी डी ए (पी) ने इसके लिए जनशक्ति की कमी को कारण ठहराया । एम ओ डी ने बताया (मार्च 2017) कि पी सी डी ए (पी) ने ई-लेखापरीक्षा सोफ्टवेयर का इन-हाउस विकास आरंभ किया था और डाटा में होने वाले बेमेल को सुधारने/समाधान करने के लिए उनके स्पॉट लेखापरीक्षा दलों को नियुक्त किया जा रहा था। हमने देखा कि ई-स्क्रॉल के माध्यम से किए जाने वाले पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा के लिए सितंबर 2014 में परिकल्पित ई- लेखापरीक्षा परियोजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया था। पी सी डी ए (पी) ने अनेक अनुदेशों के बावजूद पी डी ए द्वारा गलत फोर्मेट में ई-स्क्रॉल की प्रस्तुति को इसके लिए कारण बताया। इस महत्वपूर्ण नियंत्रण उपाय के वरीयता से कार्यान्वयन की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

चार्ट 4 : पी सी डी ए (पी) द्वारा लेखापरीक्षित पेंशनरों के लेखे

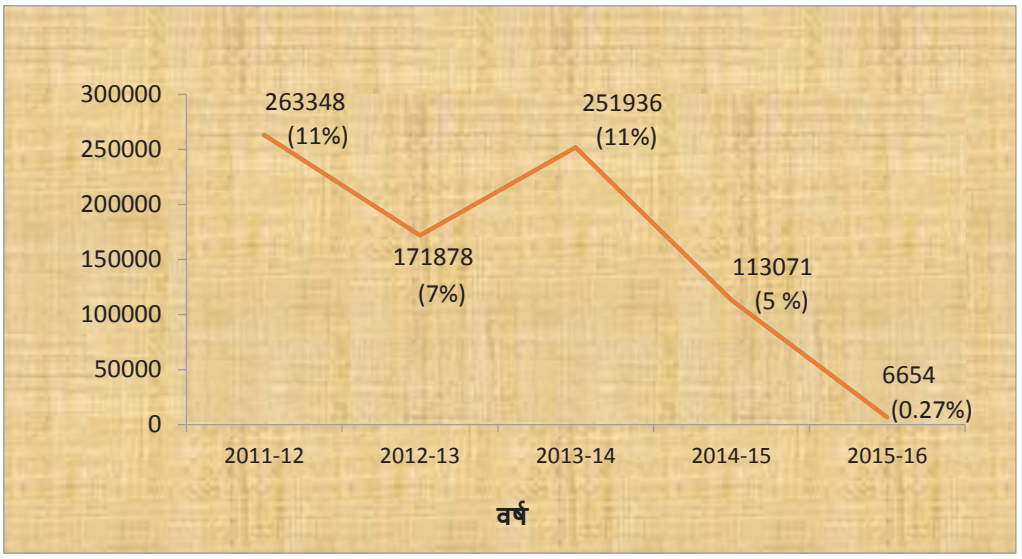

स्रोत: पी सी डी ए (पी) से प्राप्त डाटा

एम ओ डी ने बताया कि डाटा शुद्धीकरण और ई-लेखापरीक्षा के लिए प्रयास जारी है।

5.2.4 पेंशन के अधिक भुगतानों और ज़ाली/कपटपूर्ण भूगतानों की अपर्याप्त निगरानी

पेंशन के अधिक भगुतान, जाली या कपटपूर्ण भुगतान, जैसा कि आंतरिक लेखापरीक्षा में बताया गया है, 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में वसूली के लिए लंबित थे। अधिक भुगतानों के विषय में यह वसूली 19 से 31 प्रतिशत तक थी, जिसमें मार्च 2016 के अंत तक निवल शेष ₹ 33.56 करोड़ था, जैसा कि नीचे **तालिका 9** में दिया गया है:

तालिका 9 : पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति

वर्ष की समाप्ति पर	अधिक भुगतानों का संचित शेष (₹ करोड़ में)	संचित वसूलियां (₹ करोड़ में)	निवल शेष (₹ करोड़ में)	वसूली की प्रतिशतता [(स्तंभ 3/स्तंभ 2)* 100]
1	2	3	4	5
मार्च 2012	29.96	5.82	24.14	19
मार्च 2013	31.16	7.63	23.53	24
मार्च 2014	35.73	11.25	24.48	31
मार्च 2015	43.87	12.84	31.03	29
मार्च 2016	47.29	13.73	33.56	29

जाली/कपटपूर्ण भुगतान के विषय में वसूली 0 से 25 प्रतिशत तक थी और मार्च 2016 के अंत तक निवल शेष ₹47.70 लाख था, जैसा कि नीचे **तालिका 10** में दिया गया है:

तालिका 10 : पेंशन के जाली/कपटपूर्ण भुगतान की वसूली की स्थिति

वर्ष की समाप्ति पर	जाली/कपटपूर्ण भुगतान का संचित शेष (₹ लाख में)	संचित वसूलियां (₹ लाख में)	निवल शेष (₹ लाख में)	वसूली की प्रतिशतता ((स्तंभ 3/स्तंभ 2) * 100)
1	2	3	4	5
मार्च 2012	37.87	0	37.87	0
मार्च 2013	41.87	8.04	33.83	19
मार्च 2014	63.24	8.04	55.21	13
मार्च 2015	63.24	15.54	47.70	25
मार्च 2016	63.24	15.54	47.70	25

एम ओ डी ने बताया कि वसूलियों के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

5.2.5 विदेशों में जावक दावों की अपर्याप्त निगरानी

पी सी डी ए (पी) युनाइटेड किंगडम (यू के), म्यांमार और पाकिस्तान के उन पेंशनरों के लिए समुद्रपार भुगतान एजेंट (ओ पी ए) के रूप में कार्य करता है, जो भारत में रहते हैं और पेंशन का आहरण करते हैं और जिनकी पेंशन देयता क्रमश: युनाइटेड किंगडम (यू के), म्यांमार और पाकिस्तान सरकारों की है।

हमने देखा कि 2011-12 से म्यांमार, पाकिस्तान और यू के (एच के एस आर ए आर-हांगकाँग सिंगापुर रॉयल आर्टिलरी रजिमेन्ट के संबंध में) से दावों का निपटारा/प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। 31 मार्च 2016 के अनुसार म्यांमार, पाकिस्तान और एच के एस आर ए आर से बकाया कुल दावे क्रमश: ₹6.06 करोड़, ₹19.19 करोड़ और ₹3.91 करोड़ थे। एम ओ डी ने बताया कि राशियों का दावा किया गया था, किंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही थी।

5.2.6 पेंशनरों की शिकायतें

पी सी डी ए (पी) के शिकायत कक्ष के डाटा का विश्लेषण करने से पता चला कि बकाया शिकायतों की संख्या में वर्धमान प्रवृत्ति थी, जैसा कि नीचे **तालिका 11** में दिया गया है:

तालिका 11 : बकाया शिकायतों का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	समाधान की गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च तक बकाया शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5
2011-12	303	11,785	11,851	237
2012-13	237	10,095	10,106	226
2013-14	226	10,456	10,366	316
2014-15	316	12,826	11,446	1,696
2015-16	1696	38,609	37,119	3,186

पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद ने शिकायतों की संख्या में आयी घातीय वृद्धि और शिकायतों के निपटान के लिए जनशक्ति की कमी को इसका कारण बताया। यह भी देखा गया कि शिकायत दर्ज करने वाले फोर्मेट में विषय वस्तु नहीं थी, जिसके कारण शिकायतों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना कठिन था।

इस संबंध में, रक्षा पेंशन प्रणाली सिविल पेंशन पक्ष की कार्य पद्धति से लाभ उठा सकती थी, जहाँ केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय (सी पी ए ओ) ने एक ऐसी शिकायत निगरानी व्यवस्था का कार्यान्वयन किया है, जिसमें प्रत्येक पी डी ए सी पी ए ओ की वेबसाइट में लॉग इन कर सकती है और सी पी ए ओ द्वारा उनको अग्रेषित किए गए शिकायत के मामलों का विवरण तथा उनके प्रति बकाया रहने वाले मामलों की संख्या प्राप्त कर सकती है।

एम ओ डी ने बताया कि शिकायत दर्ज करने की सुविधा में सुधार किया जा रहा था तथा सी पी ए ओ में विद्यमान प्रक्रिया को ग्रहण करने के संबंध में लेखापरीक्षा के सुझाव को कार्यान्बित किया जाएगा।

5.2.7 पेंशन अदालत कक्ष

एक वर्ष में प्राप्त सभी मामलों का उसी वर्ष के दौरान निपटारा नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका 12** में दिया गया है:

तालिका 12 : पेंशन अदालत मामलों का निपटारा

वर्ष	**आयोजित पेंशन अदालतों की संख्या**	**प्राप्त मामलों की संख्या**	**मार्च के अंत तक बकाया**					**31 मार्च 2016 तक निपटाये गए मामलों की संख्या**
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	7	2856	299	69	00	00	00	2856
2012	6	2604	69	00	00	00	00	2604
2013	6	3441	→	→	160	00	00	3441
2014	6	1287	→	→	→	141	00	1287
2015	10	1284	→	→	→	→	21	1263
कुल	35	11472	368	69	160	141	21	11451

पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद ने बताया कि ये मामले संगत इनपुट प्राप्त करने हेतु अभिलेख कार्यालयों, कार्यालयाध्यक्षों, पेंशन वितरण प्राधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए थे। जे सी डी ए (ए एफ) द्वारा 2015 में देहरादून और नागपुर में पेंशन

अदालतों का आयोजन किया गया। पंजीकृत 761 मामलों में से 86 मामले जून 2016 तक बकाया थे।

5.3 आर बी आई में नियंत्रण की कमज़ोरियाँ

5.3.1 व्यय पर नियंत्रण का अभाव

जैसा कि अध्याय- II में चर्चा की गई है, 2007 में एकल खिड़की प्रणाली को लाने के बाद आर बी आई ने बैंकों के प्रतिपूर्ति के दावों से स्क्रॉल की प्रस्तुति को अलग किया है। यह बताया गया था कि इसने पेंशन व्यय पर होने वाले नियंत्रण को कमज़ोर किया था। यह निम्नलिखित दो उदाहरणों से समर्थित होगाः

(i) 2011-12 से 2015-16 के दौरान, सी ए एस, आर बी आई, नागपुर ने 103 लेनदेन से संबंधित ₹ 554.81 करोड़ का समायोजन किया, जो 01 से 3,978 दिनों तक की पूर्व अवधियों में गलत ढंग से एजेंसी बैंकों को प्रतिपूर्ति की गई थी। इनमें से 97 लेनदेन 01 अप्रैल 2007 के बाद की अवधि से संबंधित थीं, जब आर बी आई द्वारा एकल खिड़की प्रणाली लाई गई थी।

(ii) उसी अवधि के दौरान, आर बी आई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (बी ओ बी) को प्रतिपूर्ति की गई राशि और बी ओ बी द्वारा रक्षा पेंशनरों को दी गई राशि में अंतर ₹179.55 करोड़ का था, जैसा कि नीचे **तालिका 13** में विवरणित है। यह बी ओ बी को संभावित अधिक भुगतान की ओर सूचित करता है, जिसका सत्यापन तथा समाधान करने की आवश्यकता है।

तालिका 13 : आर बी आई द्वारा प्रतिपूर्ति का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	आर बी आई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रतिपूर्त की गई पेंशन	बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दत्त रक्षा पेंशन (बी ओ बी द्वारा प्रदान किया गया डाटा)	अंतर (स्तंभ 3- स्तंभ 2)
1	2	3	4
2011-12	525,85,86,366	471,56,84,860	54,29,01,506
2012-13	579,99,01,790	531,00,37,266	48,98,64,524
2013-14	675,03,55,263	619,60,27,314	55,43,27,949
2014-15	698,45,09,803	694,02,37,346	4,42,72,457
2015-16	825,36,40,653	808,94,64,263	16,41,76,390
कुल	**3304,69,93,875**	**3125,14,51,049**	**179,55,42,826**

स्रोत: सी ए एस, आर बी आई, नागपुर एवं बैंक ऑफ बड़ौदा

एम ओ डी ने बताया (मार्च 2017) कि अधिक भुगतान लेखापरीक्षा को प्रदान न किए गए मैनुअल स्क्रॉलों के कारण हो सकता था, किंतु बी ओ बी/पी सी डी ए (पी) ने बी ओ बी द्वारा दावा की गई अधिक राशि के साथ मेल मिलाने वाले स्क्रॉलों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

5.3.2 डी एम ए विवरण में कमियां

आर बी आई प्रत्येक बैंक को प्रतिपूर्ति की गई राशियों का दिनांकवार विवरण के साथ पी सी डी ए (पी) को दिनांकवार मासिक लेखा (डी एम ए) प्रदान करता है। बैंकों से प्राप्त भुगतान स्क्रॉलों में समाविष्ट विवरणों के साथ डी एम ए में दी गई सूचना का मेल मिलाने और उसे सही लेखा शीर्ष में बुक करने हेतु पी सी डी ए को समर्थ बनाने के लिए डी एम ए में महत्वपूर्ण विवरण जैसे बैंक का स्क्रॉल नंबर, जिसके प्रति प्रतिपूर्ति की गई थी, भुगतान की तिथि और राशि आदि समाविष्ट होने चाहिए। इसलिए, डी एम ए नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है।

सी ए एस, आर बी आई, नागपुर द्वारा भेजे गए 110 डी एम ए विवरणों की हमारी जाँच से डी एम ए में महत्वपूर्ण त्रुटियाँ जैसे, स्क्रॉल नंबर का न होना; ऐसी राशि के लिए प्रतिपूर्ति की गई, जिसके लिए प्राप्ति कॉलम में स्क्रॉल नंबर दिया गया था (जिस स्थिति में उसे सरकारी खाते में जमा कराया जाना चाहिए); ऐसी राशि के लिए भुगतान किया गया, जिसके लिए स्क्रॉल नंबर का उल्लेख शून्य के रूप में किया गया था; दो दिनांकों में एक ही स्क्रॉल नंबर का उल्लेख किया जाना और ऐसी लेनदेन के लिए प्रतिपूर्ति करना, जो सात वर्ष पहले तक की गई थी, आदि का पता चला। इन कमियों ने एक नियंत्रण उपाय के रूप में डी एम ए के महत्व को नष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए, स्क्रॉल नंबर के बारे में सही सूचना के अभाव में बैंक द्वारा भेजे गए संबंधित स्क्रॉल नंबर के साथ आर बी आई द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को जोड़ना पी सी डी ए के लिए कठिन होगा। ऐसे मामलों का विवरण **अनुलग्नक- 9** में उल्लिखित है।

5.4 निष्कर्ष और सिफारिशें

उपरोक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होगा कि रक्षा पेंशन प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ में नियंत्रण में कमज़ोरियां विद्यमान थीं, जो उसकी कार्यक्षमता और प्रभावकारिता को कम करती थीं। प्रौद्योगिकीय विकास तथा समन्वित ढंग से पेंशन प्रणाली के विभिन्न स्तंभों को एकीकृत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, वर्तमान नियंत्रणों को मज़बूत बनाने और कुछ नये नियंत्रणों का समावेश करने से उसकी पुष्टि बढ़ेगी और प्रणाली की प्रभावकारिता तथा पेंशनर की संतुष्टि में संवर्धन होगा।

उपरोक्त के आलोक में यह सिफारिश की जाती है कि:

- आर बी आई से प्रतिपूर्तियों की मांग करते समय पी डी ए उसके साथ-साथ पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-स्क्रॉल भेजती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को मज़बूत किया जाना चाहिए।

- बैंकों तथा पी सी डी ए (पी) के मास्टर डाटा का नियमित अद्यतनीकरण और मेल-मिलाप किया जाना चाहिए।

- पी सी डी ए (पी) को सी पी ए ओ की शिकायत निगरानी व्यवस्था को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रवीन कुमार तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएँ

नई दिल्ली
दिनांक: 03 जुलाई 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 03 जुलाई 2017

अनुलग्नक -1

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

संक्षिप्तियां और शब्दावली

ए एफ	वायु सेना
ए एफ आर ओ	वायु सेना अभिलेख कार्यालय
ए जी	महालेखाकार
सशस्त्र सेनाएं	सशस्त्र सेनाओं का तात्पर्य सिविलियनों को छोड़कर थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, रक्षा सुरक्षा कोर एवं प्रादेशिक सेना से है।
सी ए ए	सतत परिचर्या भत्ता
सी ए एस	केंद्रीय लेखा अनुभाग
सी बी एस	कोर बैंकिंग प्रणाली
सी सी एस	केंद्रीय सिविल सेवाएं
सी डी ए (ए एफ)	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना)
सी डी ए (पी डी)	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन वितरण)
सी जी ए	लेखा महानियंत्रक (वित्त मंत्रालय में)
सी जी एस	तट रक्षक सेवा
सी जी डी ए	रक्षा लेखा महानियंत्रक
सी जी ओ	तट रक्षक संगठन
सी पी ए ओ	केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय
सी पी पी सी	केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र
सी आर ओ	मुख्य अभिलेख कार्यालय
डी ए डी	रक्षा लेखा विभाग
डी ए वी	सेवानिवृत्त वायु सैनिकों का निदेशालय
डी सी आर जी	मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति उपदान

डी ई	अशक्तता घटक
अशक्तता पेंशन	यदि अशक्तता सैनिक सेवा के कारण होती है अथवा उसके कारण उसमें वृद्धि होती है और अशक्तता 20 प्रतिशत या उससे अधिक होती है, तो अशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है।
डी एम ए	दिनांकवार मासिक लेखे
डी ओ डी	सेवामुक्ति का दिनांक
डी पी डी ओ	रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय
डी एस सी	रक्षा सुरक्षा कोर
ई सी एच एस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ई एम ई	इंजीनियर सैन्य सेवा
ई एस डब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण
ई - स्क्रॉल	इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित भुगतान स्क्रॉल
परिवार पेंशन	मृत्यु की परिस्थितियों के आधार पर विधवा/ निकटतम संबंधी को परिवार पेंशन प्रदान की जाती है।
एफ एम ए	स्थायी चिकित्सा भत्ता
उपदान	उपदान में सेवा/ निवृत्ति/ सेवा निवृत्ति/ मृत्यु/परिवार/इलवैलिड/विशेष/अंतिम उपदान शामिल हैं।
जी आर ई एफ	सामान्य रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स
एच के एस आर ए आर	हॉगकॉग सिंगापुर रॉयल आर्टिलेरी रेजिमेंट
अवैध पेंशन	चिकित्सा कारणों से सेवामुक्त होने पर दिया जाने वाला अवैध पेंशन
जे ए के एल आई	जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री
जे सी डी ए	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक

आई सी ओ	भारतीय कमीशन - प्राप्त अधिकारी
जे सी ओ	कनिष्ठ कमीशन - प्राप्त अधिकारी
एल एफ पी	उदारीकृत परिवार पेंशन
एम आई एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम एन एस	सैन्य परिचर्या सेवाएं
एम ओ डी	रक्षा मंत्रालय
एन सी सी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एन सी (ई)	अयोधी (पंजीकृत)
एन ओ के	निकटतम संबंधी
ओ एफ पी	सामान्य परिवार पेंशन
ओ पी ए	विदेशी अदायगी अभिकर्ता
ओ आर	अन्य श्रेणी
पी ए ओ	भुगतान एवं लेखा अधिकारी
पी बी ओ आर	अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिक
पी सी डी ए (पी)	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन)
पी डी ए	पेंशन वितरण प्राधिकारी/ एजेंसी
पेंशन	जब उपदान को अलग दिखलाते हुए पेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस स्थिति को छोड़कर पेंशन में, उपदान भी शामिल है, परंतु मंहगाई राहत सम्मिलित नहीं हैं।
पी पी आई	पेंशन भुगतान अनुदेश
पी पी ओ	पेंशन भुगतान आदेश
पी एस ए	पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी
पी एस बी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
क्यू एस	अर्हक सेवा
आर बी आई	भारतीय रिज़र्व बैंक

निवृत्ति उपदान/सेवा उपदान	जो अधिकारी, सेवानिवृत्त होता हैं/ जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्राप्त होती है अथवा जिसकी सेवाएं अन्यथा समाप्त की जाती है और निवृत्ति पेंशन के योग्य नहीं है, उसे निवृत्ति उपदान प्रदान किया जाएगा।
निवृत्ति पेंशन/ सेवा पेंशन	निवृत्ति पेंशन अधिकारियों को दी जाती हैं। सेवा पेंशन नियमित न्यूनतम अर्हक सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पी बी ओ आर को दी जाती है।
सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु उपदान	सेवानिवृत्ति उपदान उन सेवा कार्मिकों को अनुज्ञेय है, जिन्होंने पॉच वर्षों की यथार्थ अर्हक सेवा पूरी की है और निवृत्ति/ सेवा/ अवैध/ विशेष/ अशक्तता/ युद्ध - क्षति/ उदारीकृत अशक्तता पेंशन या निवृत्ति/ सेवा/ विशेष उपदान के लिए पात्र है। सेवा में रहते हुए यदि सेवा कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु उपदान अनुज्ञेय है।
आर ओ	अभिलेख कार्यालय
एस एफ पी	विशेष परिवार पेंशन
टी ओ	कोषागार अधिकारी
यू के	युनाइटेड किंगडम
ज़ेड ओ (पी डी)	अंचल अधिकारी (पेंशन वितरण)

अनुलग्नक - 2

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

(क) पेंशन प्रबंधन प्रणाली के अंशधारक

अभिलेख कार्यालय

अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों (पी बी ओ आर) के लिए पेंशन के मामले थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के अभिलेख कार्यालयों (आर ओ) द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, जो सशस्त्र बलों के कार्मिकों के सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं। अभिलेख कार्यालय संपूर्ण केस फाइल संबंधित पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए) को भेजते हैं, जो पेंशन का प्राधिकार देते हैं तथा उसे पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) को भेजते हैं, जैसा कि नीचे फ्लो **चार्ट 5** में दर्शाया गया है:-

फ्लो चार्ट 5: पेंशन दावों का प्रसंस्करण

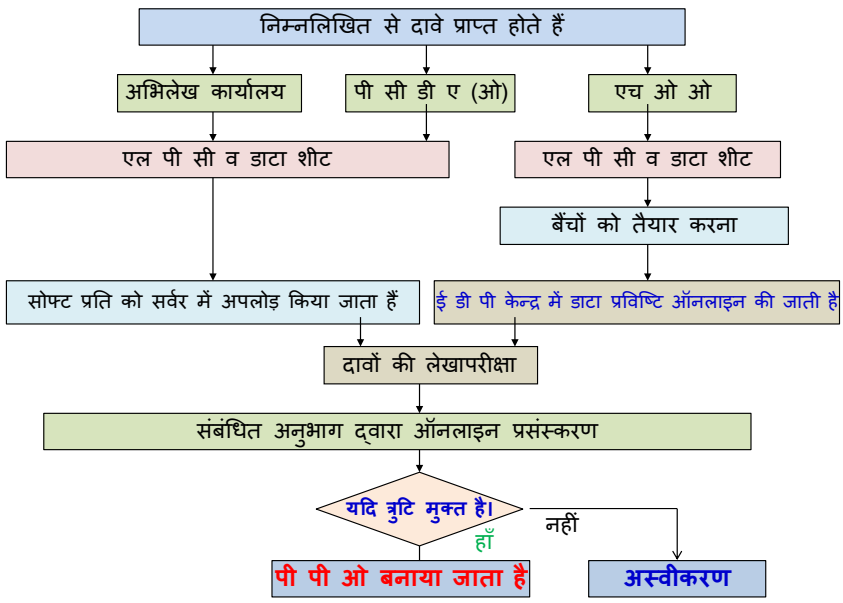

एच ओ ओ- कार्यालयाध्यक्ष ई डी पी- इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण एल पी सी- अंतिम वेतन प्रमाण पत्र

पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी (पी एस ए)

पेंशन संस्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित तीन पी एस ए जिम्मेदार है:

1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौ सेना), मुंबई
3. रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना), नई दिल्ली

पी एस ए पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करते हैं, जो पी डी ए को भेजे जाते हैं, जो पेंशनरों के खातों में पेंशन की अदायगी करते हैं। इस प्रक्रिया को **फ्लो चार्ट - 6** में दर्शाया गया है:

फ्लो चार्ट 6 : पेंशन भुगतान आदेश की प्रक्रिया

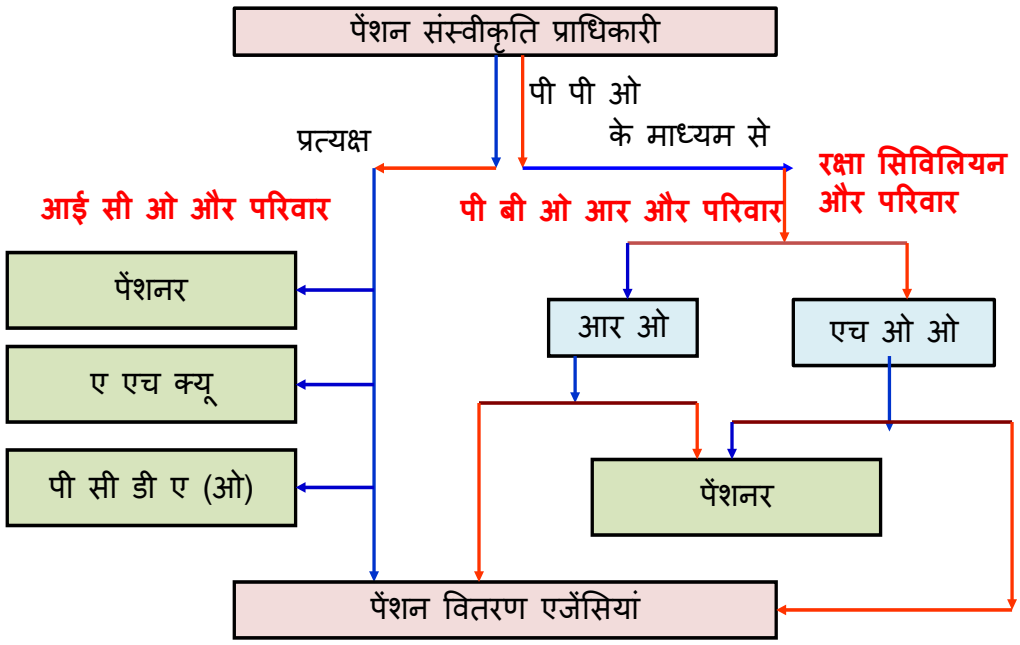

पेंशन वितरण एजेंसियां (पी डी ए)

भारत तथा नेपाल में रक्षा पेंशन का भुगतान पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) के माध्यम से किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता हैः-

1. **बैंकः** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (25)/ निजी क्षेत्र के बैंक (03) 51 केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सी पी पी सी) से नियंत्रित 46,000 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशन का भुगतान करते हैं। सी पी पी सी पेंशन भुगतान/ वसूली स्क्रॉल (सक्रॉल में पेंशनरों से की गई वसूलियों का विवरण भी समाविष्ट होता है) तैयार करते हैं और उसे पी सी डी ए (पी) को प्रस्तुत करते हैं। साथ-साथ, वे नागपुर स्थित अपने संपर्क कक्षों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई), सी ए एस, नागपुर से राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करते हैं। बैंक अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पेंशन भुगतानों पर कार्यवाही करते हैं।

2. **रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (डी पी डी ओ):** सी डी ए (पी डी), मेरठ और सी डी ए, चैन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण में रक्षा लेखा विभाग के 63 डी पी डी ओ

कार्य करते हैं। डी पी डी ओ द्वारा वितरित पेंशन को उनके द्वारा संबद्ध पेंशन लेखाकरण शीर्ष में बुक किया जाता है और प्रत्येक माह में दत्त वाउचरों को सीधे सी डी ए (पीडी) मेरठ/सी डी ए चेन्नै को भेजा जाता है। डी पी डी ओ के पास उपलब्ध डाटा का प्रसंस्करण करने तथा पेंशन भुगतान सूची बनाने के लिए 1998 में **आश्रय परियोजना** का कार्यान्वयन किया गया।

3. **राज्य कोषागार (640):** कोषाधिकारी, पेंशन का भुगतान करने के बाद दत्त वाउचर पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद को सीधे भेजते हैं और साथ-साथ रक्षा पेंशन के लिए उनके द्वारा दत्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उस राज्य के महालेखाकार से परामर्श करते हैं। महालेखाकारों द्वारा दावा की गई राशि की, चैक द्वारा पी सी डी ए से प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (05):** रक्षा पेंशन के लिए दत्त वाउचरों तथा दत्त राशि की प्रतिपूर्ति के दावे दोनों ही, पी सी डी ए (पी) द्वारा संबंधित पी ए ओ से सीधे प्राप्त किए जाते हैं। यह लेनदेन संबंधित पी ए ओ के पक्ष में चैक जारी करके नकद में निपटायी जाती है।

5. **सैन्य और एयर अताशे, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल:** नेपाल में रहने वाले रक्षा पेंशनरों को किए जाने वाले पेंशन भुगतान से संबंधित लेनदेन का आर बी आई, सी ए एस, नागपुर के द्वारा मुख्य लेखानियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली और पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद के बीच निपटारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, नेपाल के भारतीय दूतावास द्वारा पेंशन भुगतान वाउचर पी सी डी ए (पी) को भेजे जाते हैं।

6. **डाकघर, कठुआ, जम्मू और कश्मीर:** डाकघर, निदेशक डाकघर के माध्यम से आर बी आई, सी ए एस, नागपुर को नामे संज्ञापन भेजते हैं। आर बी आई, सी ए एस, नागपुर रक्षा प्रोफार्मा लेखे से विकलित करता है और डाक विभाग को जमा करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

रक्षा पेंशनरों को पी डी ए द्वारा दत्त पेंशन के संबंध में उनके द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति आर बी आई पी डी ए को करता है।

(ख) निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयां

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पी), इलाहाबाद

ई डी पी अनुभाग, लेखा अनुभाग, लेखापरीक्षा अनुभाग, पेंशन अदालत अनुभाग, विधिक एवं शिकायत कक्ष

केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सी पी पी सी)

1. सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली 2. सी पी पी सी, एस बी आई, पंचकुला; 3. सी पी पी सी, एस बी आई, नवी मुंबई; 4. सी पी पी सी, एस बी आई, चेन्नै; 5. सी पी पी सी, एस बी आई, पटना; 6. सी पी पी सी, एस बी आई, गुवाहटी; 7. सी पी पी सी, पी एन बी, पटना; 8. सी पी पी सी, पी एन बी, चण्डीगढ़; 9. सी पी पी सी, पी एन बी, लुधियाना; 10. सी पी पी सी, पी एन बी, चेन्नै; 11. सी पी पी सी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर; 12. सी पी पी सी, सी बी आई, मुंबई; 13. सी पी पी सी, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ; 14. सी पी पी सी, आन्ध्र बैंक, हैदराबाद; 15. सी पी पी सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे; 16. सी पी पी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली।

कोषागार

1. कोषागार, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) ; 2. कोषागार, पौरी गड़वाल (उत्तराखंड) ; 3. कोषागार, बल्लिया (उ.प्र.) ; 4. कोषागार, हरदोई (उ.प्र.) ; 5. कोषागार, फिरोज़ाबाद, (उ.प्र.) ; 6. कोषागार, फरूखाबाद (उ.प्र.) ; 7. कृष्णगिरी (तमिलनाडू) ; 8. कोषागार, कोषिकोड (केरल) ;।

रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (डी पी डी ओ)

1. डी पी डी ओ, झुन्झुनु; 2. डी पी डी ओ, भठिडां; 3. डी पी डी ओ, बटाला; 4. डी पी डी ओ, हमीरपुर; 5. डी पी डी ओ, उणा; 6. डी पी डी ओ, सिकन्दराबाद; 7. डी पी डी ओ, मेरठ; 8. डी पी डी ओ, गोरखपुर; 9. डी पी डी ओ, इलाहाबाद; 10. डी पी डी ओ, एरनाकुलम; 11. सी डी ए (पेंशन वितरण), मेरठ; 12. अंचल कार्यालय, (पेंशन वितरण), चैन्नई।

डाकघर

डाकघऱ, कठुआ (जम्मू और कश्मीर)

भारतीय दूतावास, नेपाल के पेंशन भुगतान कार्यालय

1. सैन्य अताशे, काठमांडू (नेपाल); 2. भुगतान कार्यालय, धरान (नेपाल); 3. भुगतान कार्यालय, पोखरा (नेपाल)।

अभिलेख कार्यालय

1. अभिलेख कार्यालय, राजपुताना राइफल्स; 2. अभिलेख कार्यालय, जाट रेजिमेंट; 3. अभिलेख कार्यालय, सेना चिकित्सा कोर; 4. अभिलेख कार्यालय, 14 जी टी सी, सबाथू; 5. अभिलेख कार्यालय, बी ई जी, रूड़की; 6. अभिलेख कार्यालय, मद्रास रजिमेन्टल सेंटर, वेल्लिंगटन; 7. अभिलेख कार्यालय, ई एम ई, सिकन्दराबाद; 8. अभिलेख कार्यालय, ए एस सी (आपूर्ति) (दक्षिण), बेंगलूर; 9. सेवानिवृत्त वायु सैनिकों का निदेशालय, दिल्ली; 10. अभिलेख कार्यालय (नौ सेना), मुंबई।

अनुलग्नक - 3

(पैराग्राफ 2.3.4 के संदर्भ में)

(संघ सरकार के लेखे 2014-15 पर सी ए जी की 2015 की प्रतिवेदन संख्या 50 (वित्तीय लेखापरीक्षा) के पैरा 4.14 का सार)

4.14 रक्षा मंत्रालय में बजट का गलत अनुमान

2014-15 के लिए मांग सं. 21- रक्षा पेंशन में राजस्व (दत्तमत) खंड में ₹50,999.30 करोड़ का वैधानिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था। वर्ष के दौरान, संशोधित अनुमानों के चरण में वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) द्वारा मांग के इस खंड के अंतर्गत किए गए प्रावधान को ₹1,000 करोड़ तक कम किया गया, यद्यपि रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने ₹53,824 करोड़ का अनुमानित व्यय प्रक्षेपित किया था। वर्ष के दौरान, रक्षा पेंशन के लिए ₹49,985.18 करोड़ का व्यय बुक किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹1,014.12 करोड़ की बचत हुई, जिसे अनुदान के मुख्य लेखाकरण प्राधिकारी अर्थात् सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत, अनुमोदित किया गया।

इसके बाद नवंबर 2015 में, इस मॉग के विनियोजन लेखाओं को संशोधित किया गया, जिसके द्वारा ₹50,999.30 करोड़ के वैधानिक अनुमोदन के विरूद्ध राजस्व दत्तमत के अंतर्गत ₹60,435.20 करोड़ का व्यय बुक किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹9,435.90 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। व्यय की राशि को इस आधार पर संशोधित किया गया था कि उचंत शीर्षों के अंतर्गत पड़े ₹ 10,450.03 करोड़ के पेंशन भुगतान स्क्रॉलों, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया था, को वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही समायोजित किया जाना था।

जूलाई 2015 में इस मॉग की लेखापरीक्षा के दौरान संशोधित अनुमानों के आधार पर ₹1,009.30 करोड़ के अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण के संबंध में प्रश्न उठाया गया, हालांकि 2014-15 लेखाओं में अंतिम लेखा शीर्ष में बुकिंग के लिए ₹10,450.03 करोड़ के पेंशन स्क्रॉल लंबित थे। तथापि एम ओ डी द्वारा कोई ठोस उत्तर प्रदान नहीं किया गया। अनुमोदन के लिए उचंत शीर्षों में पड़े पेंशन भुगतान स्क्रॉलों के विशाल संचयन को देखते हुए एम ओ डी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में किए जाने वाले प्रावधान में वृद्धि हेतु एम ओ एफ के साथ यह मामला बहुत पहले ही उठाना चाहिए था, जिससे पेंशन पर पहले से व्यय की गई राशि को अंतिम लेखा शीर्ष में बुक किया जा सकता था। इसके स्थान पर, एम ओ डी ने 2014-15 के लिए मात्र ₹53,824 करोड़ के व्यय का गलत संशोधित अनुमान ही प्रक्षेपित किया और एम ओ एफ द्वारा कम प्रावधान किए जाने का विरोध नहीं किया। इसके अलावा, एम ओ डी ने

₹49,985.18 करोड़ का व्यय बुक किया तथा पहले से किए गए व्यय को उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखने के बावजूद ₹1,014.12 करोड़ की बचत दिखाई।

पेंशन भुगतान एक प्रतिबद्ध व्यय होने तथा रक्षा पेंशनों की माँग में लगातार अधिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए एम ओ डी में प्रारंभिक बजट अनुमान बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने और उसे अधिक यथार्थपरक बनाने की अति आवश्यकता है।

अनुलग्नक - 4

(पैराग्राफ 3.1.2 के संदर्भ में)

(क) पेंशन भुगतान आदेशों (थल सेना) के प्रसंस्करण की समय-सीमा

क्र.सं.	विवरण	समय-सीमा	फ्लो-चार्ट
1.	इकाइयों द्वारा अभिलेख कार्यालय को	अभिलेख कार्यालय को 08 महीने पहले	इकाई ↓ आर ओ ↓ पी ए ओ (ओ आर) ↓ आर ओ ↓ पी सी डी ए (पी) ↓ आर ओ ↓ पी डी ए
2.	अभिलेख कार्यालय द्वारा पी ए ओ (ओ आर) को	पी ए ओ (ओ आर) को 06 महीने पहले	
3.	पी ए ओ (ओ आर) द्वारा संबंधित अभिलेख कार्यालय के माध्यम से पी सी डी ए (पी) को	अभिलेख कार्यालय के माध्यम से पी सी डी ए (पी) को 04 महीने पहले	
4.	अभिलेख कार्यालय कूरियर द्वारा पी सी डी ए (पी) को	पी सी डी ए (पी) को 04 महीने पहले	
5.	पी पी ओ बनाना और उसे अभिलेख कार्यालय को सौंपना	पी पी ओ बनाना और 02 महीने पहले अभिलेख कार्यालयों के कूरियर को सौंपना	
6.	अभिलेख कार्यालय द्वारा पी पी ओ की मूल प्रति पी डी ए को प्रेषित करना	पी पी ओ की मूल प्रति सेना से संबंधित व्यक्ति की सेवामुक्ति की तिथि से एक महीना पहले पी डी ए को प्रेषित करना	
		पी पी ओ की प्रति संबंधित व्यक्ति को एक महीना पहले साथ-साथ जारी की जानी है।	
		पी पी ओ की व्यक्तिगत प्रति आर एल सं. एवं दिनांक सहित डिपो कॉइ में सेवा के अंतिम सप्ताह में सौंपी जानी चाहिए।	

(प्राधिकारः एम ओ डी (थल सेना) का एकीकृत मुख्यालय अपर महानिदेशालय एम पी/एम पी-8 आर का आई) एडजूटन्ट जनरल शाखा नई दिल्ली के दिनांक 18 नवंबर 2013 के पत्र सं. ए/20037/निर्णय/एमपी-8(आर का आई) (ए) का पैरा 3 (एफ))

(ख) पेंशन भुगतान आदेशों (वायु सेना) के प्रसंस्करण की समय-सीमा

समय-सीमा	फ्लो-चार्ट	कार्यकलाप	समायावधि	फ्लो-चार्ट
ए टी डी-9	आर डब्ल्यू - एल सी- पी एंड डब्ल्यू (एस पी)	जाँच/मीडिया अद्यतनीकरण तथा सेवा पेंशन हेतु आगे प्रस्तुत करने के लिए पी 5 से एल सी सहित मिलान किए गए और लेखापरीक्षित आर सी एस आर प्रस्तुत करना	अंतिम अनुमोदन के बाद एक महीने के अंदर	इकाई ↓ अभिलेख स्कंध ↓ डी ए वी (पेंशन
ए टी डी-8	पी एंड डब्ल्यू (एस पी) - एल सी - एएफ सी ए ओ (सी सी एस)	आर सी एस आर/ यू सी एस आर के साथ पेंशन दावों की जॉच करना, एल पी सी डी एस जारी करना तथा आर सी एस आर, पी 5 पेंशन दावे और एल पी सी डी एस की प्रस्तुति जॉच/मीडिया अद्यतनीकरण तथा ए एफ सी ए (सी सी एस) को आगे प्रस्तुत करने के लिए एल सी को करना।	01 महीना	

समय-सीमा	फ्लो-चार्ट	कार्यकलाप	समायावधि	फ्लो-चार्ट
ए टी डी-7	ए एफ सी ए ओ (सी सी एस) - एल सी - जे सी डी ए (पूर्व - एन ई)	पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित आई आर एल ए संलग्न करना, एल पी सी डी एस में आवश्यक सूचना प्रदान करना। जॉच/मीडिया अद्यतनीकरण तथा नियंत्रण शीट एवं नियंत्रण नंबर के साथ जे सी डी ए (पूर्व-एनई) को प्रस्तुत करने के लिए एल सी को आर सी एस आर, पी 5, एल पी सी डी एस, आई आर एल ए और पेंशन दावे प्रस्तुत करना	01 महीना	स्कंध) ↓ ए एफ सी ए ओ ↓ जे सी डी ए (ए एफ) ↓ डी ए वी (पेंशन स्कंध) ↓ पी डी ए
ए टी डी-4	जे सी जी ए (पीसी) (पी 5 एंड पी पी) जे सी डी ए (पूर्व-एन ई) एल सी -एफ सी ए ओ (सी सी एस) (आई आर एल ए सेट) -आर डब्ल्यू (उत्तर-एन ई) (आर सी एस आर)	पूर्व-एनई लेखापरीक्षा की जाएगी। पी पी ओ जारी करने के लिए पेंशन दावे, पी 5, एल पी सी डी एस आदि जे सी डी ए (पें-III) को प्रस्तुत करना और उसके बाद जॉच/मीडिया अद्यतनीकरण और क्रमशः आर डब्ल्यू (उत्तर-एनई) एवं ए एफ सी ए ओ (सी सी एस) को आगे प्रस्तुत करने के लिए आर सी एस आर और आई एल आर ए सेट एल सी को वापस करना	03 महीना	
ए टी डी-2-डी	जे सी डी ए (पीसी) - पी एंड डब्ल्यू (एस पी)	केस फाइल की अंतिम लेखापरीक्षा, पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए सूची का संपादन, पी पी ओ, पेंशन बही, पी 5 और अन्य संबद्ध प्रलेखों का मुद्रण तथा ए एफ आर ओ (सेवा पेंशन (अनुभाग) को उनकी प्रस्तुति।	02 महीने	

(प्राधिकारः एयर एच क्यू/41005/नीति/पी ए-III दिनांक 11 अप्रैल 2007 का अनुलग्नक - I)

(ग) पेंशन भुगतान आदेशों (नौ सेना) के प्रसंस्करण की समय सीमा

क्र.सं.	विवरण	समय-सीमा	फ्लो चार्ट
1.	रिलीस क्रम के प्रख्यापन पर ऑनलाइन में पेंशन प्रपत्रों का अग्रेषण/पेंशन प्रपत्रों की उपलब्धता	रिलीस के 12 महीने पहले	एन ए वी पी ई एन ↓ अंतिम इकाई ↓ एन ए वी पी ई एन ↓ आई आर एल ए ↓ पी सी डी ए (एन) एम बी ↓ एन ए वी पी ई एन ↓ पी डी ए
2.	एन ए वी पी ई एन की इकाइयों से पेंशन प्रपत्रों एवं लेखापरीक्षित सेवा प्रलेखों की प्राप्ति	रिलीस के 11 महीने पहले	
3.	एन ए वी पी ई एन में रिलीस मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) कार्यवाहियों की प्राप्ति	रिलीस के 06 महीने पहले	
4.	एन ए वी पी ई एन द्वारा स्थानीय रिलीस सेवामुक्ति आदेश (एल आर डी ओ) का जारीकरण	रिलीस के 06 महीने पहले	
5.	नौ सेना वेतन कार्यालय से अंतिम आहरित वेतन प्रमाणपत्र (एल पी डी सी) की प्राप्ति	रिलीस के 05 महीने पहले	
6.	पी सी डी ए (एऩ)/ आई आर एल ए को पेंशन दावे का अग्रेषण	रिलीस के 04 महीने पहले	
7.	पी सी डी ए (एऩ) मुंबई से पी पी ओ की प्राप्ति	रिलीस के 02 महीने पहले	
8.	व्यक्तियों को पी पी ओ का जारीकरण	रिलीस के अंतिम दिन में	
9.	पेंशन वितरण एजेंसी (पी डी ए) को पी पी ओ का प्रेषण	रिलीस के बाद 07 दिनों के अंदर	
10.	पेंशन का प्रारंभ	रिलीस का अगला महीना	

(प्राधिकारः नौ सेना आदेश 17/2013 तथा नौ सेना पेंशन कार्यालय आदेश सं. पें/एस/600 दिनांक 08 जून 2017 के अनुसार)

अनुलग्नक - 5

(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

पेंशन के अल्प भुगतान के उदाहरण

(i) 1120 पेंशनरों को ₹62.59 करोड़ की संशोधित मूल पेंशन नहीं मिली, क्योंकि पी डी ए ने पी सी डी ए (पी) के दिनांक 17 जनवरी 2013 के परिपत्र सं. 501 के अनुसार पेंशन को संशोधित नहीं किया अथवा गलत प्रकार से संशोधित किया।

(ii) सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली तथा यू एस नगर एवं पौड़ी गढ़वाल के कोषागारों से संबंधित 418 पेंशनरों को ₹1.62 करोड़ का कम भुगतान किया गया, क्योंकि सिस्टम में प्रविष्ट अर्हक सेवा या तो गलत थी या अर्हक सेवा को पूर्णांकित करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रकार से नहीं की गई थी।

(iii) एस बी आई, सी पी सी सी गुवाहाटी और सी पी पी सी, बी ओ बी, नई दिल्ली में 229 मामलों में ₹3500 की न्यूनतम मूल अदायगी नहीं की गई। बी ओ बी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर अंतरण को कारण बताया, जबकि सी पी पी सी, गुवाहाटी ने इसके बारे में इंगित किए जाने पर मामलों को संशोधित किया।

(iv) आश्रय परियोजना (डी पी डी ओ) के सॉफ्ट डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 37 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन से भी कम मूल पेंशन दिया गया था।

(v) 1826 पेंशनरों को ₹4.19 करोड़ का कम भुगतान किया गया था क्योंकि पी डी ए[1] ने निर्धारित 15 वर्षों के बाद पेंशन के रूपांतरित अंश को पुनः स्थापित नहीं किया था। एम ओ डी ने बकाया राशि का भुगतान करने पी डी ए को निर्देश दिया।

(vi) पी डी ए द्वारा एफ एम ए (स्थायी चिकित्सा भत्ता) को संशोधित न करने के कारण 11,164 पेंशनरों को ₹5.76 करोड़ के स्थायी चिकित्सा भत्ते का भुगतान नहीं किया गया।

(vii) 79 पेंशनरों को ₹38.14 लाख का कम भुगतान किया गया था क्योंकि पी डी ए ने सतत् परिचर्या भत्तों (सी ए ए) की दरों को संशोधित नहीं किया, जो

[1] सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली और पटना, पी एन बी पटना, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे और सहायक कोषाधिकारी कृष्णगिरी

तब संस्वीकृत किया जाता है, जब 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए अशक्तता पेंशन दी जाती है।

(viii) पी डी ए[2] द्वारा निम्नतर दर पर अशक्तता घटक (डी ई) का भुगतान करने/ डी ई का संशोधन न करने के कारण 35 पेंशनरों को ₹46.80 लाख का कम भुगतान किया गया था।

(ix) 1,254 पेंशनरों को ₹10.89 करोड़ का कम भुगतान किया गया था, क्योंकि पी डी ए[3] ने ब्रॉड बैंडिंग के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के आदेश (जनवरी 2010) को कार्यान्वित नहीं किया तथा पी सी डी ए (पी) द्वारा अशक्तता घटक का संशोधन नहीं किया गया। डी पी डी ओ, इलाहाबाद और गोरखपुर द्वारा 297 पेंशनरों को ब्रॉड-बैंडिंग का लाभ नहीं दिया गया।

(x) 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतर दरों पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकार्य है। पी डी ए द्वारा अतिरिक्त पेंशन में संशोधन न करने/ गलत संशोधन करने के कारण 80 वर्ष के ऊपर आयु वाले 864 पेंशनरों को ₹1.67 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

(xi) सी पी पी सी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के सोफ्ट डाटा में 83 परिवार पेंशनरों की जन्म तिथि मूल सेवा पेंशनर की जन्म तिथि के समान थी।

(xii) 49 मामलों में, विभिन्न वीरता पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वित्तीय भत्तों का भुगतान नहीं किया गया और इसके फलस्वरूप ₹34.46 लाख की कम अदायगी हुई।

(xiii) डी पी डी ओ, इलाहाबाद में आठ वर्षों के बाद भी पेंशन का संशोधन न करने के कारण 2006 - पूर्व 15 पेंशनरों को केवल न्यूनतम पेंशन मिल रही थी, क्योंकि पेंशन मामलों को संशोधित करने की मूलभूत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पेंशनरों की केस फाइलों में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए किसी पत्राचार का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

[2] सी पी पी सी, एस बी आई दिल्ली, नवी मुंबई और पटना, कोषागार पौड़ी गढ़वाल और डी पी डी ओ एरनाकुलम

[3] सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली (7), सी डी ए (पी डी) (1123) और सी पी पी सी, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ (124)

अनुलग्नक - 6

(पैराग्राफ 4.2 और 4.3 के संदर्भ में)

2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों के डाटा विश्लेषण के परिणाम

क्र.सं.	विषय	अल्प भुगतान (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
1	न्यूनतम सेवा पेंशन का अल्प भुगतान	2652.15	
2	महंगाई राहत का अधिक भुगतान		6812.08
3	अप्रैल 2003 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्तों का भुगतान		140.66
4	ई सी एच एस में पंजीकृत पेंशनरों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्ते का भुगतान		2946.78
5	स्थायी चिकित्सा भत्ता का संशोधन न करने के कारण अल्प भुगतान	891.23	
6	स्थायी चिकित्सा भत्ता का अधिक भुगतान		108.06
7	परिवार पेंशन की संवर्धित दर का अधिक भुगतान		1169.67
8	विशेष परिवार पेंशन (एस एफ पी) का गलत संशोधन		189.19
9	विशेष परिवार पेंशन का अल्प-संशोधन	2229.31	
10	सामान्य परिवार पेंशन का अधिक नियतन		9926.08
11	सामान्य परिवार पेंशन का अल्प नियतन	3124.23	
12	निम्नतर दर पर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान	1827.28	
13	अतिरिक्त पेंशन का भुगतान न करना	929.59	
14	80 वर्ष की आयु से पूर्व अतिरिक्त पेंशन का भुगतान		674.9
15	सेना अधिकारियों के बराबर सिविलियन एन सी सी अधिकारियों की पेंशन का गलत नियतन		118.08
16	अशक्तता पेंशन का अल्प नियतन	81.58	
17	अशक्तता पेंशन का अधिक नियतन		67.71
18	100 प्रतिशत अशक्तता के बिना सतत् परिचर्या भत्ता का भुगतान		37.56
19	अशक्त घोषित व्यक्तियों की अशक्तता पेंशन का ब्रॉड-बैंडिंग न किया जाना	163.97	
20	अशक्तता पेंशन का गलत ब्रॉड-बैंडिंग		19.36
21	पेंशन के रूपांतरित मूल्य की गैर-वसूली		5180.21
22	पेंशन के रूपांतरित मूल्य का गैर-पुनः स्थापन	1706.73	
23	परिवार पेंशनरों से पेंशन के रूपांतरित मूल्य की वसूली	19.50	
24	रिज़र्व-सैनिकों को पेंशन का अधिक भुगतान		1143.25
25	सेवा पेंशन का अधिक नियतन		23337.11
26	सेवा पेंशन का अल्प नियतन	9205.79	
27	सतत परिचर्या भत्ता (सी ए ए) का गैर-संशोधन	32.39	
28	वीरता पुरस्कारों से जुड़ी मौद्रिक भत्ता का गैर-संशोधन	15.92	
29	अनुग्रह भत्ता का गैर संशोधन	5.46	
	कुल	**22,885.13**	**51870.70**
	कुल योग		**74755.83**

अनुलग्नक - 7

(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

अधिक भुगतान, जिनकी वसूली नहीं की गई

कुछ उल्लेखनीय मामले निम्नलिखित थेः-

- सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली को जुलाई 2016 तक 3108 पेंशनरों से ₹34.87 करोड़ की वसूली करनी थी, परंतु 2504 पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जा रही थी, जिसमें ₹29.82 करोड़ का अधिक भुगतान सम्मिलित था।

- 31 मार्च 2016 तक सी पी पी सी, एस बी आई, पटना को 1531 पेंशनरों से ₹13.20 करोड़ की वसूली करनी थी।

- आश्रय परियोजना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1421 मामलों में 31/03/2016 तक डी पी डी ओ द्वारा ₹10.14 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था, परंतु केवल 1382 मामलों में वसूली की जा रही थी, जिसमें ₹9.88 करोड़ का अधिक भुगतान सम्मिलित था। सात मामलों में, प्रति माह केवल ₹1.00 की दर से वसूली की जा रही थी, जिसका तात्पर्य था कि अधिक भुगतान की गई राशि को पेंशनरों के जीवित रहते कभी भी वसूल नहीं किया जा सकेगा।

- सी पी पी सी, एस बी आई, गुवाहटी में, 179 पेंशनरों के प्रति ₹89.22 लाख की राशि बकाया थी।

- 2011-2012 से 2015-16 के दौरान 344 पेंशनरों की वार्षिक पहचान नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप डी पी डी ओ, मेरठ द्वारा पहचान की देय तिथि के बाद ₹1.91 करोड़ का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त, दिवंगत पेंशनरों के विषय में वसूली के बकाया मामले 85 से 154 तक बढ़ गए और मार्च 2013 से मार्च 2016 के दौरान यह राशि ₹11.80 लाख से ₹25.48 लाख तक बढ़ गई।

अनुलग्नक -8

(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

रक्षा पेंशनरों के ई-स्क्रॉल और प्रोफाइलों में बेमेलपन

क्र. सं.	पी डी ए का नाम	अभिलेखों की कुल संख्या	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जहाँ बैंक खाता प्रोफाइल से नहीं मिल रहा था (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें नाम नहीं थे (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या, जिनमें पी पी ओ संख्या नहीं थी (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें गलत या शून्य जन्म तिथि थी (प्रतिशतता)	अभिलेखों की संख्या जिनमें सेवामुक्ति के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु शामिल है (प्रतिशतता)	एक ही पी पी ओ और भिन्न खाता संख्याओं से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	एक ही खाता संख्या और भिन्न पी पी ओ से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	ऐसे अभिलेखों की संख्या जो पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों के साथ मेल नहीं खाते थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	1,39,78,778		2,08,844 (1.49%)	179	57 (0.02%)	166 (0.05%)	594	3	85,761
2	भारतीय स्टेट बैंक, पंचकुला	85,01,880	2,68,466 (3.16%)	179		2,26,985 (2.67%)	662 (0.01%)	2,622 (0.03%)	224	65,281
3	भारतीय स्टेटे बैंक, चैन्नई	41,26,958			32	40	87 (0.08%)	802 (0.02%)	3,626 (0.09%)	18,794
4	भारतीय स्टेट बैंक, नवी मुंबई	86,60,755	4,41,980 (5.10%)	137		19 (0.01%)	89 (0.04%)	75	63	33,725
5	भारतीय स्टेट बैंक, गुवाहटी	39,57,192		16,633 (0.42%)		209 (0.32%)	179 (0.27%)			0
6	भारतीय स्टेट बैंक, पटना	23,11,092	51,713 (2.24%)		1,38,991 (6.01%)	132	359 (0.02%)	704 (0.03%)	32,096 (1.39%)	20,263
7	पंजाब नेशनल बैंक, चैन्नई	47,308	78 (0.16%)		57 (0.12%)	16 (0.62%)				0

क्र. सं.	पी डी ए का नाम	अभिलेखों की कुल संख्या	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जहाँ बैंक खाता प्रोफाइल से नहीं मिल रहा था (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें नाम नहीं थे (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या, जिनमें पी पी ओ संख्या नहीं थी (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें गलत या शून्य जन्म तिथि थी (प्रतिशतता)	अभिलेखों की संख्या जिनमें सेवामुक्ति के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु शामिल है (प्रतिशतता)	एक ही पी पी ओ और भिन्न खाता संख्याओं से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	एक ही खाता संख्या और भिन्न पी पी ओ से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	ऐसे अभिलेखों की संख्या जो पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों के साथ मेल नहीं खाते थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	पंजाब नेशनल बैंक, पटना	7,21,856	393 (1.51%)	3,373 (0.47%)		5,069 (0.70%)				13,100
9	पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना	31,41,159	7143 (0.23%)		2,696 (0.08%)	1,612 (0.05%)				0
10	पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़	26,75,656	5,224 (5.30%)		26	17,273 (0.65%)				1,055
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5,28,498	3,10,663 (58.78%)		29 (0.01%)	2,50,776 (47.45%)	117 (0.02%)	339 (0.06%)	6	24,002
12	इलाहाबाद बैंक	7,30,684	14,109 (1.93%)			19005 (2.60%)	8,767 (1.2%)	31		0
13	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	28,79,380		602 (0.02%)		373 (0.01%)	1,379 (0.05%)	1,920 (0.07%)	17	44,956
14	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	34,96,394	2,274 (3.30%)	1,015 (0.03%)	24,441 (0.70%)	2,24,837 (6.43%)	1,50,959 (4.32%)	763 (0.02%)	246 (0.01%)	26,639
15	बैंक ऑफ बडौदा	23,79,619				23,00,116 (96.65%)	13			25,089
16	आन्ध्रा बैंक	5,77,600								8,304
17	डी पी डी ओ	1,28,16,659	1472			2,140 (0.01%)		1,846 (0.01%)	1,846 (0.01%)	1,48,900
	कुल	**7,15,31,468**	**11,03,515**	**2,30,783**	**1,66,451**	**30,48,659**	**1,62,777**	**9,696**	**38,127**	**5,15,869**

अनुलग्नक - 9

(पैराग्राफ 5.3.2 के संदर्भ में)

डी एम ए में अनियमितताएं

(i) आर बी आई के स्क्रॉल नंबर के बिना एजेंसी बैंकों को ₹380 करोड़ की अदायगी की, जैसाकि वर्ष 2015-16 के लिए आई सी आई सी आई, एच डी एफ सी और पी एन बी के सी पी पी सी के 04 डी एम ए विवरणों से स्पष्ट था। जब इस संबंध में बताया गया तो आर बी आई ने स्क्रॉल नंबरों की अनिवार्य प्रविष्टि को सुनिश्चित करने के लिए सभी संपर्क कक्षों को सलाह दी और ऐसा न करने पर सी बी एस में उस लेनदेन को अधिकृत नहीं माना जाएगा।

(ii) आर बी आई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ₹1150 करोड़ की अदायगी की, जब स्क्रॉल के प्रति दावा की गई राशि को भुगतान वाले स्तंभ में दर्शाया गया था, किंतु स्क्रॉल नंबर को प्राप्ति वाले स्तंभ में दर्शाया गया था। इससे ज्ञात हुआ कि अदायगी किसी अनुसमर्थन के बिना की गई थी।

(iii) 02 डी एम ए में (वर्ष 2015-16 के 110 डी एम ए विवरणों में से) वेतन स्क्रॉल नंबर के सामने राशि को शून्य दिखाया गया था।

(iv) सात वर्षों से अधिक समय के बाद दावे प्रस्तुत करने के लिए कारणों का विश्लेषण किए बिना आर बी आई ने लेनदेन दिनांक 12/12/2007 के प्रति 23/06/2015 को ₹17,70,430/- और लेनदेन दिनांक 01/05/2007 के प्रति 21/08/2015 को ₹13,36,537/- की अदायगी एस बी आई को की।

(v) दो अलग दिनांकों में बी ओ बी पटना, (केंद्रक शाखा) की लेनदेन के लिए एक ही स्क्रॉल नंबर का उल्लेख हुआ था, उदाहरणार्थ, ₹89,77,376.00 और ₹7,082.00 के लिए लेनदेन दिनांक क्रमशः 02/06/2015 और 31/07/2015 के सामने एक ही वेतन स्क्रॉल नंबर 03 का उल्लेख हुआ था। ₹1,07,005/- और ₹43,592/- की राशि के लिए लेनदेन दिनांक क्रमशः 11/02/2016 और 09/05/2015 के सामने वेतन स्क्रॉल नंबर 89 का उल्लेख हुआ था।

(vi) सी पी पी सी, केनरा बैंक, बेंगलूर की लेनदेन में वेतन स्क्रॉल क्रमांक का क्रमानुसार उल्लेख नहीं हुआ था, उदाहरणार्थ, वेतन स्क्रॉल क्रमांक 50 दिनांक 17/07/2015 का उल्लेख वेतन स्क्रॉल क्रमांक 49 दिनांक 01/08/2015 के पहले आता है। इसी प्रकार, वेतन स्क्रॉल क्रमांक 43 दिनांक 20/07/2015 का उल्लेख वेतन स्क्रॉल क्रमांक 42 दिनांक 23/07/2015 के पहले आता है; वेतन

स्क्रॉल क्रमांक 53 दिनांक 11/08/2015 का उल्लेख क्रमांक 52 दिनांक 18/08/2015 के पहले आता है; वेतन स्क्रॉल क्रमांक 56 दिनांक 19/07/2015 का उल्लेख क्रमांक 55 दिनांक 27/08/2015 के पहले आता है।

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in